



सिंचित क्षेत्र विकास

इं.गां.न.प., बीकानेर

हस्त-पुस्तिका

[अंतर्गत धारा 4(1)(b)]

“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005”

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 15 जून, 2005 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा 1 एवं 2, धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27 एवं 28 तत्काल प्रभाव में आ गई है। शेष प्रावधान अधिनियम बनने की तिथि से 120वें दिन अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हो गये हैं।

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार दिया गया है। साथ ही राजकीय कार्य में पारदर्शिता लाने एवं अधिकारी/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु इस संगठन (लोक प्राधिकरण) के लिए मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगानप, बीकानेर को **लोक सूचना अधिकारी** नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सी.ए.डी.) (लोक प्राधिकरण) के लिये आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर एवं मुख्य अभियन्ता, सी.ए.डी. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर को लोक सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी प्रमुख शसन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज. जयपुर को नियुक्त किया गया है।

इस हस्तपुस्तिका में सिंचित क्षेत्र विकास संगठन, इंगानप की विशिष्टियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों, संगठन में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदत्त शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पुस्तिका में संगठन से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग में लिये जाने वाले अधिनियम, नियम एवं विनियमों का भी उल्लेख किया गया है।

विभागीय कार्यों के संपादन हेतु गठित समितियों का भी पुस्तिका में उल्लेख है। कार्य संपादन हेतु विभाग को आवंटित बजट, विभागीय लक्ष्यों एवं वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों का भी इस पुस्तिका में उल्लेख किया गया है।

इस संगठन का मुख्य कार्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र का समन्वित विकास करना है। इस प्रयोजन को मद्देनजर रखते हुए इस हस्तपुस्तिका में इस संगठन के मुख्य कार्य/गतिविधियों का समावेश किया गया है। यह हस्तपुस्तिका इस परियोजना से संबंधित व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाती है। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए यह अति उपयोगी सिद्ध होगी।

इस लोक प्राधिकरण से संबंधित कर्तव्यों/गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के लिए नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा कार्य/गतिविधि जिसका उल्लेख इस हस्तपुस्तिका में नहीं किया गया है अथवा किसी सूचना विशेष के लिए निर्धारित शुल्क का उल्लेख नहीं हो तो ऐसी अवस्था में सूचना एवं शुल्क बाबत जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

मैनुअल-1 संगठन की विषिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

इस संगठन (प्राधिकरण) का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र का समन्वित विकास करना है। अन्तर्राज्यीय समझौते के तहत रावी-व्यास नदियों से राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी से पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी भू-भाग, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में फैला है, को सिंचित करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर परियोजना वर्ष 1957 में शुरू की गयी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र, नहर आने से पहले पूर्णतया वीरान था, जिसमें जनसंख्या का घनत्व बहुत कम था। इस क्षेत्र के सिंचित होने पर काश्तकारों को भूमि आवंटन होने तथा इनके इस क्षेत्र में आबाद होने के कारण जनसंख्या का घनत्व बढ़ने की संभावना के मद्देनजर इस क्षेत्र को विकसित करने तथा क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक था। अतः इस क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर की अध्यक्षता में सिंचित क्षेत्र विकास अभिकरण का गठन वर्ष 1974 में किया गया।

सिंचित क्षेत्र विकास अभिकरण के कर्तव्य निम्नानुसार है :

1. जल स्रोत से काश्तकार के खेत तक जल प्रदाय प्रणाली का संधारण एवं प्रभावी संचालन।
2. संस्थागत वित्त पोषण एवं अन्य माध्यम से चक की भूमि का विकास जिसमें खालों को पक्का करना, भूमि समतलीकरण एवं भू-सुधार शामिल है, की योजनाएं तैयार करना एवं इनका क्रियान्वयन।
3. प्रत्येक काश्तकार को निर्धारित मात्रा में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सही बाराबन्दी-प्रणाली लागू करना।
4. पूरक सतही सिंचाई हेतु भू-जल का विकास।
5. उपयुक्त फसल पद्धति का चयन व परिचय।
6. समस्त आदान व सेवाओं की ऋण सहित आपूर्ति।
7. विपणन व प्रसंस्करण सुविधा तथा सम्प्रेषण का विकास।
8. लघु व सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत कार्य योजना तैयार करना।
9. पशुपालन व्यवसाय व बागवानी तथा कृषि वानिकी के विकास के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बदलाव।
10. नहरों, सड़कों, खेतों व असिंचित भूमि पर चारागाह विकास तथा जलाऊ लकड़ी, पौधारोपण इत्यादि के लिए संरक्षित वानिकी कार्यक्रम।
11. नगर नियोजन, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, विद्यमान एवं नये गांवों तथा विपणन केन्द्रों का विकास।

लोक प्राधिकरण (संगठन) द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विवरण निम्न प्रकार है -

1. भूमि विकास कार्य: सीएडी संगठन (प्राधिकरण) का मुख्य कार्य परियोजना क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण करना है, जिससे पानी का अधिकतम एवं समुचित उपयोग हो सके।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

सिंचित क्षेत्र विकास संगठन द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य परियोजना के स्टेज-प्रथम क्षेत्र में वर्ष 1974 एवं स्टेज-द्वितीय क्षेत्र में वर्ष 1987 से प्रारम्भ कर 31 अगस्त, 2010 तक कुल सी सी ए 19.63 लाख हैक्टेयर के विरुद्ध 12.32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	स्टेज-1 (फ्लो+लिफ्ट)	स्टेज-2			योग
			फ्लो	लिफ्ट	योग	
1	कुल सी सी ए	5.53	8.73	5.37	14.10	19.63
2	नहर निर्माण द्वारा खोला गया क्षेत्र (शाहगढ मिलिट्री रेंज का क्षेत्र छोड़कर)	5.46	7.23	3.24 #	10.47	15.93
3	हार्डपेन (चारागाह) क्षेत्र (घटायें)	-	0.02	-	0.02	0.02
4	खाला निर्माण हेतु उपलब्ध फ्लो एरिया	5.46	7.21	-	7.21	12.67
5	खाला निर्माण किया गया क्षेत्र	5.29	7.03	-	7.03	12.32
6	शेष रहा क्षेत्र					
	अनफिजीबल व विवादित क्षेत्र	0.17	0.15	-	0.15	0.32
	अपूर्ण छोड़ा गया क्षेत्र	-	0.03	-	0.03	0.03

रु इंगांनप स्टेज-2 के लिफ्ट क्षेत्र में खाला निर्माण कार्य सीएडी द्वारा नहीं करवाये जा रहे है, अपितु इंगांनप द्वारा पायलट परियोजना के तहत डिग्गी/स्प्रिंकलर पद्धति से कार्य करवाये जा रहे है।

इस परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई एवं सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को विलोपित करने की स्वीकृति भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पत्रांक 13-2/2008-सीएडीडब्ल्यूएम दिनांक 19.01.2011 द्वारा जारी की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पक्के खालों के निर्माण हेतु **30 अप्रैल, 2014** तक रूपये 1685.91 करोड व्यय किया गया है। वर्तमान में इस संगठन द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत कोई भी पक्का खाला निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है।

वर्तमान में प्रगतिरत परियोजनायें

वर्तमान में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, अमर सिंह उप शाखा (अमर सिंह जस्साना) परियोजना एवं गंग नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि विकास कार्यों के तहत केन्द्रीय परावर्तित योजना (CSS) के तहत पक्के खालों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा, 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत राशि लाभान्वित काश्तकारों द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है। इन परियोजनाओं में पक्के खालों के निर्माण की स्वीकृत दर रूपये 22000/- प्रति हैक्टेयर है।

सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना

सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण कार्य वर्ष 2004-05 से करवाया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुसार इस परियोजना के कुल सिंचित क्षेत्र 1.11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खाले निर्माण हेतु रूपये 181.17 करोड लागत की योजना स्वीकृत है। इस संगठन द्वारा **30 नवम्बर 2014** तक 1.01396 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में रूपये 145.3417 करोड व्यय कर पक्के खालों का निर्माण किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	भौतिक उपलब्धियाँ (हैक्टेयर में)	व्यय (लाख रुपये में)
1	2004-05	16888	453.63
2	2005-06	30551	3886.88
3	2006-07	16438	2031.42
4	2007-08	5753	967.99
5	2008-09	4068	886.93
6	2009-10	5625	1080.71
7	2010-11	15216	3387.43
8	2011-12	3771	921.36
9	2012-13	2400	658.34
10	2013-14	332	208.27
11	2014-15	354	51.21
	योग	101396	14534.17

इस परियोजना में मूल रूप से 111458 हैक्टेयर क्षेत्र में से मार्च 2013 तक 100710 हैक्टेयर क्षेत्र में खाला निर्माण करवाया जा कर भोष रहा क्षेत्र 10748 हैक्टेयर था । जबकि इस परियोजना की तैयार की गई चक स्कीमों के अनुसार परियोजना में सिंचित होने वाला कुल रकबा 124864 हैक्टेयर आंकलित किया गया है । जिसमें से माह मार्च 2014 तक 101042 हैक्टेयर क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण करवाने के पश्चात शेष रहा क्षेत्र 23822 हैक्टेयर बचता है । जिसके लिए एमओयू 3 प्रतियों में आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर द्वारा अपने पत्रांक एफ.11(आयो)/क्षेविआ/पीएमयू/सीएसएस/435 दिनांक 28.05.2014 द्वारा भासन उप सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया जा चुका है । ,

भासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.4(6) सीएडी/2014 दिनांक 19.08.2014 की अनुपालना में इस परियोजना का एमओयू 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाईन 2010 के अनुसार बनाकर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 02.09.14 द्वारा प्रस्तुत किया गया । आयुक्त, क्षेत्रीय विकास द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.09.14 द्वारा भासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया गया ।

अमर सिंह उपशाखा परियोजना

अमर सिंह उपशाखा प्रणाली में वर्ष 2005-06 से पक्के खालों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुसार इस परियोजना के कुल सिंचित क्षेत्र 0.51 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में रुपये 67.74 करोड व्यय कर पक्के खालों का निर्माण किया जाना है। सिंचित क्षेत्र विकास संगठन द्वारा 30 नवम्बर 2014 तक 0.32737 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में रुपये 71.8892 करोड व्यय कर पक्के खालों का निर्माण किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	भौतिक उपलब्धियाँ (हैक्टेयर में)	व्यय (लाख रुपये में)
1	2005-06	2011	117.92
2	2006-07	5641	584.47
3	2007-08	3861	784.53
4	2008-09	1874	567.26
5	2009-10	3848	932.46
6	2010-11	8995	2082.29
7	2011-12	5508	1560.37
8	2012-13	941	495.02
9	2013-14	26	58.90
10	2014-15	32	5.70
	योग	32737	7188.92

इस परियोजना में मूल रूप से 50702 हैक्टेयर क्षेत्र में से मार्च 2013 तक 32679 हैक्टेयर क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण करवाने के पचास 18023 हैक्टेयर क्षेत्र भोष रहा था। जबकि इस परियोजना की तैयारी की गई चक स्कीमों के अनुरूप इस परियोजना में सिंचित होने वाला कुल रकबा 44425 हैक्टेयर आंकलित किया गया है। जिसमें से माह मार्च 2014 तक 32705 हैक्टेयर क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा भोष रकबा 11720 हैक्टेयर बचता है जिसके लिए एमओयू इस कार्यालय के पत्रांक एफ-मेन्ड/ एमओयू/मुअ(प)/डीएण्डएम/1840 दिनांक- 29.05.2014 द्वारा 4 प्रतियों में आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर को प्रस्तुत किया जा चुका है एवं आयुक्त, क्षेत्रीय विकास के पत्रांक 2543 दिनांक 30.05.2014 द्वारा भासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया जा चुका है।

शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.4(7) सीएडी/2014 दिनांक 19.08.2014 की अनुपालना में इस परियोजना का एमओयू 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाईन 2010 के अनुसार बनाकर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01.09.14 द्वारा प्रस्तुत किया गया। आयुक्त, क्षेत्रीय विकास द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.14 द्वारा भासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया गया।

गंग नहर परियोजना

गंग नहर परियोजना को सीएडीडब्लूएम कार्यक्रम के तहत शामिल किये जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पत्रांक 13-2/2008-सीएडीडब्लूएम दि. 19.01.2011 एवं राज्य सरकार से इस संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 07.02.2011 को जारी हुई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुसार गंग नहर परियोजना क्षेत्र के 1.83 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में रूपये 538.00 करोड़ व्यय कर पक्के खालों का निर्माण किया जाना है। सिंचित क्षेत्र विकास संगठन द्वारा 30 नवम्बर 2014 तक 63649 हैक्टेयर क्षेत्र में रूपये 184.3054 करोड़. रूपये व्यय कर पक्के खालों का निर्माण किया गया है।

क्र.सं.	वर्ष	भौतिक उपलब्धियाँ (हैक्टेयर में)	व्यय (लाख रूपये में)
1	2010-11	-	93.92
2	2011-12	5731	2921.72
3	2012-13	18026	4307.07
4	2013-14	25647	6942.80
5	2014-15	14245	4165.03
	योग	63649	18430.54

2014-15 का निर्माण कार्यक्रम भौतिक

क्र.सं.	खाण्ड का नाम	संशोधित वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2014-15				
		सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना	अमरसिंह सब ब्रॉच परियोजना	गंगनहर परियोजना	भाखाडा नहर परियोजना	योग
ओएफडी वृत्त, सिक्षेवि, इंगानप, बीकानेर						
01	ओएफडी खाण्ड-I, बीकानेर	-	-	4000	-	4000
02	ओएफडी खाण्ड-V, श्रीकरणपुर	-	-	4000	-	4000
03	अमरसिंह सब ब्रॉच खाण्ड-II, भादरा	-	4000	-	-	4000
	योग	-	4000	8000	-	12000
सिक्षेवि, गंगनहर ओएफडी वृत्त, श्रीगंगानगर-						
01	गंगनहर ओएफडी खाण्ड-I, श्रीविजयनगर	-	-	4000	-	4000
02	गंगनहर ओएफडी खाण्ड-II, श्रीगंगानगर	-	-	4000	-	4000
03	गंगनहर ओएफडी खाण्ड-III, सूरतगढ.	-	-	4000	-	4000
	योग	-	-	12000	-	12000
सीएडी वृत्त, हनुमानगढ.						
01	एसएनआईपी खाण्ड-I, हनुमानगढ.	-	-	4000	-	4000
02	गंगनहर ओएफडी खाण्ड VI सूरतगढ	-	-	4000	-	4000
03	गंगनहर ओएफडी खाण्ड VII श्रीगंगानगर	-	-	4000	-	4000
04	एसएनआईपी खाण्ड-IV, नोहर	4000	-	-	-	4000
	योग	4000	-	12000	-	16000
	महायोग	4000	4000	32000	-	40000

नोट -

- 1- अमरसिंह सब ब्रॉच परियोजना एवं सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के बजट अनुमान में क्रमशः चार-चार हजार हैक्टेयर की वार्षिक योजना के विपरीत मात्र क्रमशः 100-100 लाख की बजट राशि ही आवंटित की गई है। जबकि अनुमानित लागत क्रमशः 1670 लाख एवं 1739 लाख आने की संभावना है।
- 2- भाखडा नहर परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त न होने के कारण इसे वर्ष 2014-15 की वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया गया। इस परियोजना हेतु बजट अनुमान में 8000 हैक्टेयर लक्ष्य मानते हुए 1760 लाख का बजट अनुमान रखा गया है।
इस परियोजना की सैद्धान्तिक / प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर ही कार्य भुरू किया जा सकता है। इस परियोजना का कार्य शुरू करने के लिए अतिरिक्त दो खण्डों की भी आवश्यकता होगी
- 3- संगठन में क0 अभियंता / सहायक अभियंता के क्रमशः 74 प्रति त एवं 46 प्रतिशत रिक्त है, जिन्हे भरने की अत्यंत आवश्यकता है।

वित्तीय

(क) वर्ष 2014-15 का बजट व व्यय का परियोजनावार ब्यौरा निम्नानुसार है” :-

राशि लाख रुपए में

क्र. सं.	परियोजना	वर्ष 2014-15 हेतु बजट	माह नवम्बर 2014 तक व्यय
2	गंग नहर परियोजना	7040.93	4165.03
3	सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना	100.00	51.21
4	अमर सिंह उपशाखा परियोजना	100.00	5.70
5	भाखडा नहर परियोजना	1760.00	0.00
	महायोग	9000.93	4221.94

2. कृषि एवं भू-सर्वेक्षण

1. ग्राह्य परीक्षण :-

सिं.क्षे.वि. इ.गा.न.प. के द्वितीय चरण में एडेप्टिव रिसर्च हेतु तीन कृषि अनुसंधान केन्द्र गोड्डू, नाचना व मोहनगढ. में कार्यरत है । एडेप्टिव रिसर्च का मुख्य कार्यक्रम विभिन्न फसलों की किरमें, कीट व्याधियां, जल प्रबन्धन, बुवाई का समय, उर्वरक का उपयोग, शस्य क्रियाएँ, उचित फसल चक्र ज्ञात कर इन पर कार्य करना है ।

इस हेतु इन केन्द्रों पर विभिन्न शाखाओं जैसे वनस्पति, शस्य, कीट, पौध व्याधि, रसायन व उधान शाखा के वैज्ञानिक कार्य करते हैं जो कृषि अनुसंधान केन्द्रों व कृषकों के खेतों पर परीक्षण लगा कर उसकी ग्राह्यता जांचते हैं तथा दो से तीन साल तक एक समान परिणाम आने के पश्चात निश्चित सिफारिश पैकेज पुस्तिका में जुड़वाई/हटवाई जाती है । एडेप्टिव रिसर्च का कार्यक्रम खरीफ व रबी मौसम के पहले आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इ.गा.न.प. बीकानेर की अध्यक्षता में गठित स्टेन्डिंग कमेटी की बैठक में तय किया जाता है। जिसमें कृषि अनुसंधान, कृषि विस्तार, कृषि विश्वविद्यालय, काजरी व अन्य विषयों के कृषि वैज्ञानिक/ अधिकारीगण भाग लेते हैं ।

2. भू-सर्वेक्षण

- (अ) **विस्तृत भू सर्वेक्षण :-** भूमि के वर्गीकरण व सिंचाई हेतु विस्तृत भू सर्वेक्षण किया जाता है तथा भूमि की सिंचाई हेतु उपयुक्तता जांची जाती है । इ.गा.न.प. के द्वितीय चरण में ओ. एफ. डी. कार्य हेतु व पक्के खालों के निर्माण से पूर्व विस्तृत भू सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । सर्वेक्षणों के परिणामों में प्रत्येक चक्र के मुर्ब्बा व बीघा में उपस्थित समस्या तथा चक्र प्लानिंग हेतु सुचना तैयार कर संबधित सिंचाई अभियन्ता को भिजवाये जाते हैं ।
- (ब) **सेलिनिटी सर्वेक्षण :-** इ.गा.न.प. के सिंचित क्षेत्र में जल प्लावन तथा लवणीयता व क्षारियता की समस्या उत्पन्न होने के कारण, इस समस्या के आंकलन व प्रभावित क्षेत्रों के सीमांकन हेतु लवणीय व क्षारीय भू सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 1998-99 से किया जा रहा है । क्षेत्र से मृदा नमूने प्रयोगशाला में ला कर उनका रसायनिक विश्लेषण कर मिट्टीयों को विभिन्न श्रेणी जैसे लवणीय, क्षारीय एवं लवणीय-क्षारीय में वर्गीकृत किया जाता है एवं उनके सुधार की सिफारिश की जाती है ।
- (स) **मिट्टी व जल परीक्षण :-** इ.गा.न.प. क्षेत्र के किसानों के खेतों की मृदा की उर्वरता के बारे में जानकारी देने व बोई जाने वाली फसलों में उचित खाद एवं उर्वरक के उपयोग हेतु तथा मृदा का लवणीय-क्षारीय समस्या की उपस्थिति एवं निदान हेतु मृदा एवं जल के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण कर सिफारिशें प्रदान की जाती हैं ।
- (द) **मोबाईल मिट्टी व जल परीक्षण प्रयोगशाला :-** किसानों की सुविधा हेतु इ.गा.न.प. के द्वितीय चरण में एक भ्रमणशील मिट्टी एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत है । जो क्षेत्र में भ्रमण कर खरीफ एवं रबी मौसम में बुवाई के पहले मिट्टी एवं जल के नमूनों का विश्लेषण कर कृषकों को मौके पर ही उर्वरकों की सिफारिश करती है ।

3. समन्वित नाशी कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रयोगशाला :- इस प्रयोगशाला में कृषकों के लाभार्थ विभिन्न फसलों पर लगाने वाले कीटों एवं बीमारियों की रोकथाम हेतु रासायनिक छिड़काव के स्थान पर जैविक उत्पाद ट्राईकोडर्मा व ट्राईकोग्रामा का उत्पादन किया जा रहा है तथा आईपीएम के प्रदर्शन इगानप क्षेत्र में लगाये जा रहे हैं एवं कृषकों को आईपीएम अपनाने की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

4. केंचुआ उत्पादन कार्यक्रम :- क्षेत्र के कृषकों में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु राज. कृषि अनु. केन्द्रों एवं मुख्यालय बीकानेर पर केंचुआ उत्पादन कर कृषकों में वितरित किये जा रहे हैं। कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों को केंचुआ खाद तैयार कर प्रयोग में लेने की सलाह दी जा रही है।

मुख्य एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्यालय एवं पते निम्न प्रकार हैं :-

मुख्यालय स्थित कार्यालय/इकाई	मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालय
उप निदेशक, कृषि एवं भू सर्वेक्षण, कृषि भवन, सागर रोड़, बीकानेर।	1. प्रभारी अधिकारी, कृषि ग्राह्य केन्द्र गोडू (बीकानेर)
	2. उप निदेशक (शस्य) कृषि ग्राह्य केन्द्र नाचना (जैसलमेर)
	3. उप निदेशक (शस्य) कृषि ग्राह्य केन्द्र मोहनगढ (जैसलमेर)

3. कृषि विस्तार कार्यक्रम

1. संगठन की विशिष्टियाँ कृते एवं कर्तव्य

II- पार्ट्स-1:- लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

कृषि एवं सिंचित क्षेत्र विकास द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से सामान्य जन को जानकारी उपलब्ध करवाना एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना।

II- पार्ट्स-2:- लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

उन्नत कृषि विधियों का प्रचार-प्रसार कर फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाना।

II- पार्ट्स-3:- लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रश्न

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अधीन कृषि विस्तार इकाई 1974 से कार्यरत है। इस इकाई द्वारा (T&V) भ्रमण एवं संपर्क विधि व फसल प्रदर्शन के माध्यम से कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाने हेतु गठन किया गया।

2:4:- लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

क्षेत्र की कृषि उत्पादन की मूलभूत समस्याओं की जानकारी करना एवं तदनु रूप तकनीकी जानकारी द्वारा उनका निराकरण कर अधिकतम उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि तय करना।

2:5:- लोक प्राधिकरण के मुख्य कर्तव्य:-

क्षेत्र भ्रमण, कृषक संपर्क, प्रदर्शन आयोजन, कृषक प्रशिक्षण एवं किसान मेलों का आयोजन, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री द्वारा कृषि तकनीकी पर नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाना।

2:6:- लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण:-

- उन्नत फसल के बीजों के मिनीकिट का वितरण।
- प्रदर्शन आयोजन।
- सिंचाई जल के समुचित उपयोग हेतु फव्वारा एवं ड्रिप पद्धति सिंचाई को प्रोत्साहन देना।

- भूमि सूधार,जल व मिट्टी का परीक्षण व जिप्सम का उपयोग तथा खाद व उर्वरकों का संतुलित उपयोग ।
- पौध संरक्षण,फसलों के रोग व कीटों से मुक्त करने हेतु आवश्यक तकनीकी जानकारी देना ।
- अच्छी गुणवत्ता के कृषि आदान उपलब्ध करवाना ।
- कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर कृषकों को उपलब्ध करवाना ।
- फलदार पौधों का वितरण ।
- सब्जी एवं मसाला प्रदर्शन/मिनिकिट का आयोजना करना ।

2:7:- लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा:-

कृषि विस्तार इकाई कार्यालय आयुक्त क्षेत्रीय विकास के अधीन कार्यरत है। जिसका संगठनात्मक ढांचा संलग्न है ।

- उप निदेशक कृषि (विस्तार)
- जिला विस्तार अधिकारी
- बज्जू मोहनगढ एवं कृषि अधिकारी बीकमपुर

2:8:- लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ:-

जन सामान्य अपनी समस्याओं की जानकारी से संबंधित कृषि विस्तार कार्यालय/कार्मिक को अवगत करवायें एवं सूझाये गये निराकरण अनुसार क्रियान्वयन करें ।

2:9:- जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि व्यवस्था:-

जन सहयोग की सुनिश्चितता हेतु कृषि विस्तार इकाई द्वारा कृषक प्रशिक्षण,कृषकों से व्यक्तिगत संकल्प तथा कृषक मेलों का आयोजन किया जाता है ।

2:10:- जन सेवाओं के अनुसरण अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था:-

जन सेवाओं को अनुश्रवण हेतु मुख्य कार्य से पद कृषि पर्यवेक्षक का है । जिसमें कार्य का पर्यवेक्षक सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किये गये कार्यों का पुनः पर्यवेक्षण अन्य उच्च अधिकारी जैसे कृषि अधिकारी/जिला विस्तार अधिकारी तथा उप निदेशक कृषि विस्तार द्वारा किया जाता है। जन शिकायतों के निराकरण हेतु कृषक अपनी समस्याओं से क्षेत्र से संबंधित कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी व जिला विस्तार अधिकारी को सूचित कर सकते हैं।

2:11:- मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते:-

- उप निदेशक कृषि विस्तार सिंक्षेवि.इंगांनप.कोठी नं0-8 बीकानेर ।
- जिला विस्तार अधिकारी,आरडी-931 इंगांनप. बज्जू जिला बीकानेर
- कृषि अधिकारी बीकमपुर जिला बीकानेर ।
- जिला विस्तार अधिकारी मोहनगढ जिला जैसलमेर ।

2:12:- कार्यालय खुलने का समय:- 9.30 ए.एम. (प्रातः 9.30 बजे)

कार्यालय बन्द होने का समय:- 6 पी.एम. (सांयकाल 6 बजे)

4. वाटर लॉगिंग एवं लैण्ड रिक्लेमेशन

वाटर लॉगिंग एवं लैण्ड रिक्लेमेशन इकाई, सीएडी, इगानप, बीकानेर द्वारा इन्दिरा गांधी कमाण्ड क्षेत्र में भूजल अन्वेषण, दोहन, भूजल स्तर के मापन तथा जलप्लावन (सेम) के भूमि पर होने वाले प्रभावों तथा सेम ग्रस्त भूमि के पुनरोद्धार सम्बंधी अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इगानप कमाण्ड क्षेत्र (प्रथम तथा द्वितीय चरण) और सिध्दमुख नहर परियोजना क्षेत्र में नहरी पानी तथा भू जल से होने वाले सिंचाई के सम्मिलित प्रभावों के बारे में भी इसी इकाई द्वारा अध्ययन किया जाता है।

इन्दिरा गांधी नहर कमाण्ड क्षेत्र में भू जल स्तर के मापन का कार्य प्रथम चरण क्षेत्र में वर्ष 1980-81 तथा द्वितीय चरण क्षेत्र में वर्ष 1992 से लगातार किया जा रहा है। नहरी क्षेत्र में होने वाली सिंचाई के कारण क्षेत्र के भू जल स्तर तथा उसकी गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों के विस्तृत अध्ययन हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए पीजोमीटर्स का एक नेटवर्क निर्माण किया गया है। इनमें वर्ष में दो बार भू जल स्तर का मापन किया जाता है। तदानुसार प्राप्त आकड़ों के आधार पर कमाण्ड क्षेत्र को सेम सम्बंधी तीन श्रेणियों में बांटा गया है। वाटर लॉगिंग, क्रिटिकल तथा पोटन्शियली सेन्सिटिव क्षेत्र। इस प्रकार के अध्ययन से प्राप्त सूचना के आधार पर ड्रेनेज प्लान तैयार किया जाता है ताकि कृषि भूमि को सुरक्षित तथा उपयोगी बनाये रखा जा सके। इसके अतिरिक्त भू भौतिकीय सर्वेक्षण कार्य भी कराया जाता है। ताकि उपरोक्त क्षेत्रों में भू जल स्तर में वृद्धि के कारण निर्मित 'फ्रेस वाटर कुषन' को चिन्हित किया जा सके जिससे वहां के काफ्तकार डग-कम-बोर वैल बनाकर उन्हें सिंचाई हेतु उपयोग में ले सके और उस पानी का दोहन कर सके। वाटर लॉगिंग एवं लैण्ड रिक्लेमेशन इकाई, सीएडी, इगानप, बीकानेर द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियाँ निम्नानुसार है :-

पीजोमीटर्स का निर्माण कार्य :- पीजोमीटर्स से तात्पर्य ऐसे छोटे बोर होल्स से है जो कि भू जल स्तर के मापन तथा भू जल की गुणवत्ता में होने वाले परिवर्तनों के परीक्षण हेतु बनाये जाते हैं। इनकी समयबद्ध मोनिटरिंग कर, प्राप्त आकड़ों के आधार पर कमाण्ड क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। तदानुसार तैयार किये गये मैप्स व रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है।

भू जल स्तर मापन कार्य (मोनिटरिंग) :- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कमाण्ड क्षेत्र में भू जल स्तर के मापन का कार्य वर्ष में दो बार (मई से अगस्त तथा अक्टूबर से फरवरी के दौरान) सम्पादित किया जाता है।

भू जल के नमूनों का एकत्रीकरण :- भू जल स्तर के मापन के दौरान पीजोमीटर्स से लेकर भू जल के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। इन नमूनों का प्रयोगशाला में रसायनिक परीक्षण कराया जाता है ताकि भू जल की गुणवत्ता में परिवर्तन आदि का पता लगाया जा सके।

भू भौतिकीय अन्वेषण कार्य :- कमाण्ड क्षेत्र में भू भौतिकीय सर्वेक्षण का कार्य वैज्ञानिक उपकरण टेरामीटर की मदद से सम्पादित किया जाता है ताकि पीजोमीटर निर्माण हेतु उचित स्थल का चयन तथा पानी की अनुमानित गुणवत्ता आदि का आकलन किया जा सके।

भू भौतिकीय लौगिंग :- निर्माणाधीन बोर होल्स में भू भौतिकीय लौगिंग द्वारा एक्वीफर की संभावित स्थिति तथा फ्रेस वाटर कुषन की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है।

पम्पिंग टैस्ट :- काफ्तकारों द्वारा निर्मित किये गये कुओं में पम्पिंग टेस्ट का सम्पादन करवाया जाता है ताकि एक्वीफर की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि डिस्चार्ज तथा ड्रा डाउन आदि का आकलन किया जा सके तदानुसार कुए की क्षमता (यील्ड) निर्धारित की जा सके।

मेकेनिकल एनालिसिस:- बोर होल्स से प्राप्त लिथो सेम्पल (मिट्टी/रेत आदि के नमूने) एकत्रित कर उनको विभिन्न छन्नको की सहायता से विविध साईजो के अनुसार बांटा जाता है ताकि उनसे ट्यूबवैल्स की डिजाईनिंग में मदद मिल सके।

डग-कम-बोर वैल्स निर्माण हेतु भू जल वैज्ञानिकीय अन्वेषण कार्य :- भू जल वैज्ञानिकीय तथा भू भौतिकीय सर्वे के संयुक्त सम्पादन द्वारा कमाण्ड क्षेत्र के काष्कारो को डग-कम-बोर वैल्सस निर्माण हेतु उचित स्थलो का चयन कराया जाता है तथा एकवीफर की सम्भावित स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे तदानुसार डग-कम-बोर वैल्स का निर्माण कर सकें।

5. नगर नियोजन इकाई द्वारा संपादित कार्य

इंदिरा गांधी नहर से जल प्राप्त होने से पूर्व इस क्षेत्र की आबादी बहुत कम थी। परन्तु सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होने के उपरान्त कृषि कार्यों के विस्तार होने तथा उत्पादन के बढ़ने की स्थिति में जनसंख्या का बढ़ना अवश्यभावी था। अतः इस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय एवं शहरी नियोजन संगठन (सी.आर.यू.पी.ओ.) ने छठे दशक में त्रिस्तरीय आबादी विस्तार योजना की परिकल्पना कर त्रिस्तरीय आबादी विस्तार योजना सुझायी, जिसके अनुसार आबादी के आकार-प्रकार तथा स्थिति के लिए निम्न आर्हताएं अपनाई गईं:-

आबादी:- आबादी विस्तार योजना के अन्तर्गत प्रथम स्तरीय इकाई आबादी है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि किसी भी काश्तकार को अपने खेत तक पहुंचने के लिए ढाई किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े। अतः हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक आबादी प्रस्तावित की गई है। यह आबादी 5 से 6 चकों के मध्य स्थित हो। इस आबादी का प्रभावी क्षेत्र 30 वर्ग किलोमीटर रहेगा। इसकी जनसंख्या 1000 प्रस्तावित की गई थी। आबादी में पीने का पानी, प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सालय, सहकारी गोदाम, दुकाने इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध होगी।

कृषि सेवा केन्द्र:- आबादी विस्तार योजना के अन्तर्गत द्वि-स्तरीय योजना कृषि सेवा केन्द्र इकाई प्रस्तावित की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को दैनिक आवश्यकता की सुविधाएं उपलब्ध हो। कृषि सेवा केन्द्र इस प्रकार से स्थित होगा कि यह 6 आबादियों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यह कृषि सेवा केन्द्र 6 से 7 किलोमीटर की परिधि में स्थित होगा एवं इसका प्रभावी क्षेत्र 180 वर्ग किलोमीटर रहेगा। कृषि सेवा केन्द्र में करीब 3 से 4 हजार व्यक्ति निवास करेंगे, लेकिन इसके प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए यह 10000 की जनसंख्या को सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसमें सैकेण्डरी स्कूल, चिकित्सालय, जल विद्युत आपूर्ति, सहकारी बैंक, पशु चिकित्सालय इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध होगी।


मण्डी:- आबादी विस्तार योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में उच्चतम स्तर की आबादी मण्डी कस्बे के रूप में विकसित की गई। सुविधाएं एवं आकार के आधार पर तीन प्रकार की मण्डियां प्रस्तावित की गईं- "ए" श्रेणी की मण्डी की जनसंख्या 50000 जिसके लिये न्यूनतम मण्डी क्षेत्र 129 मुरब्बा एवं प्रभावी क्षेत्र 2700 वर्ग किलोमीटर रहेगा। "ब" श्रेणी की मण्डी की जनसंख्या 20000 जिसके लिये न्यूनतम मण्डी क्षेत्र 64 मुरब्बा व प्रभावी क्षेत्र 1875 वर्ग किलोमीटर होगा एवं "सी" श्रेणी की मण्डी की जनसंख्या 10000 जिसके लिये न्यूनतम मण्डी क्षेत्र 29 मुरब्बा एवं प्रभावी क्षेत्र 675 वर्ग किलोमीटर रहेगा यह मण्डियां क्रमशः 50,30, एवं 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगी।



6. मण्डी विकास समिति :

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में काश्तकारों की सुविधा हेतु न्यूनतम 30 कि०मी० की दूरी पर विभिन्न कस्बों को मण्डी के रूप में विकसित किया जाकर इसमें सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है।

उप नगर नियोजक, सीएडी द्वारा तैयार किये गये प्लान के आधार पर मण्डियों में भू-खण्डों की नीलामी/आवंटन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है।

लोक प्राधिकरण (संगठन) के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा





इस संगठन द्वारा वर्तमान में मुख्यतः काश्तकार की भूमि तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए पक्के खालों का निर्माण किया जाता है। खाला निर्माण के पश्चात् खाला संबंधित चक समिति को संभला दिया जाता है। तत्पश्चात् इस खाले के रखरखाव एवं मरम्मत का उत्तरदायित्व उस चक के काश्तकारों का है। अतः संबंधित काश्तकारों से अपेक्षा की जाती है कि चक के खाले का अच्छी तरह रखरखाव करे तथा समय पर आवश्यक मरम्मत करें ताकि सिंचाई सुविधा समुचित रूप से अनवरत उपलब्ध हो सके। संगठन के अधीन कार्यरत कृषि विस्तार इकाई द्वारा क्षेत्र के काश्तकारों को प्रशिक्षण/प्रदर्शन के माध्यम से नई कृषि तकनीक की जानकारी दी जाती है। अतः काश्तकारों से अपेक्षा की जाती है कि नई कृषि तकनीक अपनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करे।

इस लोक प्राधिकरण के अधीन कार्यरत अभियांत्रिकी इकाई द्वारा परियोजना क्षेत्र में वृहद् स्तर पर निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आयुक्त, क्षेत्रीय विकास के अधीन फील्ड टेस्टिंग एवं गुण नियंत्रण इकाई गठित की गई है, जो निर्माण कार्यों का निरीक्षण करती है तथा निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों को इंगित करती है, जिन्हें निर्माण इकाई द्वारा ठीक किया जाता है। इस प्रकार निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। जन साधारण से प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु एक सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके द्वारा प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाता है।

मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (जनपदवार)

मुख्य एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्यालय एवं पते निम्न प्रकार हैं:-

मुख्यालय स्थित कार्यालय/ इकाई	मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालय
कोठी नं. 8 परिसर, सिविल लाईन, बीकानेर स्थित	
आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।	
अतिरिक्त आयुक्त,सीएडी,इंगानप, बीकानेर।	
उपायुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।	
वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास	1. कार्या. वरि. लेखा. अधि. सीएडी, गंगनहर परियोजना, श्रीगंगानगर 2. कार्या. वरि.लेखा.अधि. कार्य-III,सीएडी, भादरा (हनुमानगढ़)
उप निदेशक (कृषि विस्तार) सिंचित क्षेत्र विकास	1. जिला विस्तार अधिकारी, इंगानप, बज्जू (बीकानेर) 2. कृषि अधिकारी, बीकमपुर (बीकानेर) 3. जिला विस्तार अधिकारी, मोहनगढ़ (जैसलमेर)
वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, सिंचित क्षेत्र विकास, अति. कलक्टर, एवं सचिव मण्डी विकास समिति,	
1. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम), सिंचित क्षेत्र विकास, कोठी नं. 8 बीकानेर। 2. अधीक्षण अभियन्ता, ओ.एफ.डी. वृत्त, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगानप, कोठी नं. 8 बीकानेर। 3. अधीक्षण अभियन्ता, फिल्ड टेस्टिंग(स.) गु.नि. वृत्त, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगानप, कोठी नं. 8 बीकानेर। 4. अधिशाषी अभियन्ता, ओ.एफ.डी. खण्ड-I, सीएडी, बीकानेर। 5. अधिशाषी अभियन्ता, फी.टेस्टिंग (स) गुण नियं. खण्ड-II सीएडी, इंगानप, कोठी नं. 8 बीकानेर।	<p style="text-align: center;">हनुमानगढ़ जिला</p> 1. अधीक्षण अभियन्ता, सीएडी वृत्त, हनुमानगढ़। 2. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, एस.एन.आई.पी खण्ड-I, हनुमानगढ़। 3. अधिशाषी अभि., एसएनआईपी खंड चतुर्थ, नोहर 4. अधिशाषी अभि., अमरसिंह सब ब्रांच परि खंड-II, सीएडी, भादरा <p style="text-align: center;">गंगानगर जिला</p> 1. अधीक्षण अभियन्ता, सिंक्षेवि, गंग नहर, ओ.एफ.डी. वृत्त, श्री गंगानगर। 2. अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर, ओ.एफ.डी. खण्ड-I, सीएडी, श्रीविजयनगर। 3. अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर, ओ.एफ.डी. खण्ड-II, सीएडी, श्रीगंगानगर। 4. अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर, ओ.एफ.डी. खण्ड-III, सीएडी, सूरतगढ़। 5. अधिशाषी अभियन्ता, सिंक्षेव, फि.टे.एवं गुण नि. खंड-I, सूरतगढ़। 6. अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड-V, सीएडी, करणपुर,, श्रीगंगानगर। 7. अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर, ओ.एफ.डी. खण्ड-VI, सीएडी, सूरतगढ़। 8. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, गंगनहर ओएफडी, खण्ड-VII, श्रीगंगानगर।
कृषि भवन, जयपुर रोड, बीकानेर स्थित उप निदेशक कृषि एवं भू-सर्वेक्षण, सीएडी	1. प्रभारी अधिकारी, कृषि ग्राह्य केन्द्र गोडू (बीकानेर) 2. उप निदेशक (शस्य) कृषि ग्राह्य केन्द्र नाचना (जैसलमेर) 3. उप निदेशक (शस्य) कृषि ग्राह्य केन्द्र मोहनगढ़ (जैसलमेर)
उप नगर नियोजक, सिंचित क्षेत्र विकास	

कार्यालय खुलने का समय:- 9.30 a.m.

कार्यालय बंद होने का समय:- 6.00 p.m.

मैनुअल-2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	शक्तियाँ	कर्तव्य
आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।	राजस्थान सेवा नियम/ सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं अन्य नियमों के तहत विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सभी शक्तियाँ। सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रशासक को प्रदत्त शक्तियाँ।	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सौंपे गये कार्य एवं उत्तरदायित्व।
अतिरिक्त आयुक्त, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।		आयुक्त महोदय की सहायतार्थ समस्त कार्य एवं पूल कार्य।
उपायुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।		सीएडी संगठन का समस्त प्रशासनिक कार्य, लेखा शाखा, रोकड़, भण्डार एवं सामान्य। प्रत्र प्राप्ति एवं प्रेषण, पुस्तकालय शाखा, प्रभारी अधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, री-इन्वेस्टमेंट यूनिट-2600
मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगानप, बीकानेर।	विभिन्न नियमों के तहत प्रदत्त विभागाध्यक्ष की समस्त शक्तियाँ। सार्वजनिक लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम, सामान्य वित्तीय लेखा नियम तथा शक्तियों की सूची (शियूडल आफ पावर) के तहत प्रदत्त शक्तियाँ	परियोजना क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्य। निर्माण कार्यों के लिए वार्षिक कार्यकारी योजना तैयार करना तथा चक स्कीम तैयार करना एवं निर्माण कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संपादित करवाना।
वित्तीय सलाहकार	विभिन्न नियमों के तहत प्रदत्त विभागाध्यक्ष की शक्तियाँ	आयुक्त, क्षेत्रीय विकास तथा मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास को वित्तीय मामलों में सलाह देना। आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करवाना। परियोजना की बजट निर्णायक समिति में उपस्थित रहकर विभिन्न विभागीय मदों के तहत बजट में आवश्यक राशि का प्रावधान करवाना। समस्त योजनाओं का मासिक व्यय लेखा तैयार करवाकर महालेखाकार, राज. जयपुर को भिजवाना। कार्यालयों के अभिलेख की आंतरिक जांच करवाना। महालेखाकार द्वारा की गई आडिट रिपोर्ट की अनुपालना भिजवाना।

उप निदेशक (सांख्यिकी)		परियोजना क्षेत्र में संगठन द्वारा संचालित किये जा रहे विकास कार्यो बाबत पंचवर्षीय/वार्षिक योजना तैयार करना। वार्षिक योजना में निर्धारित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना। राज्य सरकार को मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर भिजवाना। निदेशन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करना एवं समिति हेतु नवीन बिन्दु प्रस्तावित करना।
उप निदेशक, कृषि एवं भू सर्वेक्षण	विभिन्न नियमों के तहत कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त शक्तियाँ	परियोजना क्षेत्र में विस्तृत मृदा सर्वेक्षण करना। भू जल इकाई द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में सेलेनिटी सॉयल सर्वेक्षण करना। मृदा एवं जल के नमूनों का विश्लेषण करना। चल मिट्टी एवं पानी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा कृषकों के खेतों पर जाकर नमूनों का विश्लेषण करना। मुख्यालय बीकानेर पर नव स्थापित आईपीएम प्रयोगशाला में जैविक उत्पाद तैयार करना। कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर ग्राह्य परीक्षण करना।
उप निदेशक, कृषि विस्तार	विभिन्न नियमों के तहत कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त शक्तियाँ	1. प्रशासनिक व्यवस्थाओं की क्रियाविति 2. वेतन भुगतान व्यवस्था 3. अवकाश स्वीकृतियों 4. विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा एवं मूल्यांकन 5. विभिन्न इकाईयों एवं कार्यालयों से संपर्क-तालमेल एवं सहयोग तथा योजना कार्या को सूचारू रूप से संपादित करना
वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक	विभिन्न नियमों के तहत कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त शक्तियाँ	परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के फलस्वरूप संभाव्य जल भराव की समस्या के दृष्टिगत पीजोमीटर के माध्यम से भू जल स्तर का आकलन करना। परियोजना क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के निराकरण/निदान हेतु कार्य करना।
उप नगर नियोजक, सिंचित क्षेत्र विकास	विभिन्न नियमों के तहत कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त शक्तियाँ	परियोजना क्षेत्र में चक आबादी, कृषि सेवा केन्द्र एवं मंडी टाउन्स के नियोजित विकास हेतु प्लान तैयार करना।
अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव, मंडी विकास समिति, बीकानेर।	विभिन्न नियमों के तहत कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त शक्तियाँ। राज.उपनिवेशन (भाखड़ा एवं इंगानप के उपनिवेशन क्षेत्र की मंडियों में भूमि विक्रय एवं आवंटन) शर्त, 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ	मंडियों का नियोजित ढंग से विकास करना। मंडी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना। मंडी क्षेत्र में भू-खंडों का आवंटन/विक्रय करना।

मैनुअल-3

कृत्यों के निर्वाह हेतु नियम विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

क्र. सं.	अभिलेख का नाम	प्रकार	प्रति कहां से प्राप्त की जा सकती है।	देय शुल्क
1	सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन आदेश दि. 25.7.74	आदेश	आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, कोठी नं.8, बीकानेर	राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 में देय शुल्क
2	राजस्थान सेवा नियम	नियम	कार्या. टेलीफोन नं. 0151 / 2226800	
3	सामान्य वित्तीय लेखा नियम	नियम	फैक्स नं. 0151 / 2226821	
4	चिकित्सा भत्ता नियम	नियम		
5	यात्रा भत्ता नियम	नियम		
6	राजस्थान सिविल सेवा सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अपील) नियम, 1958	नियम		
7	राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम 1971	नियम		
8	राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996	नियम		
9	राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996	नियम		
10	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999	नियम		
11	चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1999	नियम		
12	राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम	नियम		
13	बजट मैनुअल	मैनुअल	वित्तीय सलाहकार, सीएडी, इंगानप, कोठी नं.8, बीकानेर।	
14	कोषागार नियम	नियम		
15	सी.ए.ओ. मैनुअल	मैनुअल	कार्या. टेलीफोन नं. 0151 / 2226803	
16	मेमोरेण्डम ऑफ अकाउन्टिंग प्रोसीजर	अनुदेश		
17	राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र की मण्डियों में भूमि का विक्रय एवं आवंटन) शर्त 1973	शर्त	अति. जिला कलक्टर एवं सचिव, मंडी विकास समिति, बीकानेर टे.फो.नं.0151 / 2226019	

18	राजस्थान इरिगेशन एवं ड्रेनेज एक्ट	अधिनियम	मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंगानप, बीकानेर। कार्या. टेलीफोन नं. 0151/2226800 फैक्स नं. 0151/2226821	राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 में देय शुल्क
19	माध्यास्थम एवं सुलह अधिनियम 1996	अधिनियम		
20	राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002	नियम		
21	सार्वजनिक लोकनिर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम	नियम		
22	बेसिक षिड्यूल रेट (B.S.R.) तथा पी.डब्ल्यू.डी. बी.एस.आर	बी.एस. आर		
23	डिजाईन मैनुअल	मैनुअल		
24	वर्कचार्ज स्टैंडिंग आर्डर नियम (RCP)	नियम		
25	वर्कचार्ज सेवा नियम 1964	नियम		
26	राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा नियम	नियम		
27	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियम	नियम		

प्राधिकरण	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का स्थान	शुल्क
आयुक्त क्षेत्रीय विकास, कोठी नं. 8 सिविल लाईन, बीकानेर।	संस्थापन,लेखा,वित्त,चिकित्सा,यात्रा भत्ता सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश	राज्य सरकार के संबंधित विभाग आयुक्त क्षेत्रीय विकास, कोठी नं. 8 सिविल लाईन, बीकानेर।	—
मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, कोठी नं0 8 बीकानेर।	संस्थापन,लेखा,वित्त,चिकित्सा,यात्रा भत्ता सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश, सिंचाई व ड्रेनेज एक्ट, राज्य अभियांत्रिकी सेवा नियम एवं सा.लो.नि. नियम, बी.एस.आर. पीडब्ल्यूडी बी.एस.आर. डिजाईन मैनुअल आदि	राज्य सरकार के संबंधित विभाग	—
अतिरिक्त आयुक्त, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।	आयुक्त महोदय की सहायतार्थ समस्त कार्य एवं पूल कार्य	राज्य सरकार के संबंधित विभाग	—
उपायुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, सीएडी, बीकानेर।	संस्थापन, लेखा, वित्त, चिकित्सा, यात्रा भत्ता सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश	राज्य सरकार के संबंधित विभाग आयुक्त क्षेत्रीय विकास, कोठी नं. 8 सिविल लाईन, बीकानेर।	—
वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, कोठी नं0 8 बीकानेर।	संस्थापन,लेखा,वित्त,चिकित्सा,यात्रा भत्ता सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश, सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों के सिविल/कार्यों के विपत्रों का अधिकृत करने, मासिक लेखे तैयार करने, डेबिट एवं क्रेडिट के लेखों का संधारण एवं खण्डीय/उपखण्डीय कार्यों के लेखों की आंतरिक जाँच करने संबंध दिशा निर्देशों की संकलन	राज्य सरकार के संबंधित विभाग वित्तीय सलाहकार, सीएडी,इंगानप, कोठी नं. 8 बीकानेर।	—
उप निदेशक (सांख्यिकी) पीएण्डएम, सीएडी, कोठी नं08, बीकानेर।	सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश, वार्षिक एवं पंच वर्षीय योजना तथा योजना के अन्तर्गत रही प्रगति रिपोर्ट	राज्य सरकार के संबंधित विभाग	
उप निदेशक (कृषि एवं भू सर्वेक्षण) कृषि भवन, जयपुर रोड़, बीकानेर।	संस्थापन, लेखा, वित्त, चिकित्सा, यात्रा भत्ता सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश कृषि अनुसंधान एवं भू-सर्वेक्षण संबंधी निर्देश	राज्य सरकार के संबंधित विभाग उप निदेशक (कृषि एवं भू सर्वेक्षण) कृषि भवन, जयपुर रोड़, बीकानेर।	
उप निदेशक (कृषि विस्तार) सिंचित क्षेत्र विकास, कोठी नं0 8 बीकानेर।	संस्थापन, लेखा, वित्त, चिकित्सा, यात्रा भत्ता सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश, कृषि विस्तार के निर्देश अमूल्य नीर योजना, भूमि सुधार, कृषक प्रशिक्षण, पौध संरक्षण, फसल प्रदर्शन, व मिनिमेट वितरणख उन्नत कृषि यंत्र वितरण, जैव उर्वरक, कृषि आदान गुणवत्ता, विडियो वाहन प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार	राज्य सरकार के संबंधित विभाग उप निदेशक (कृषि विस्तार) सिंचित क्षेत्र विकास, कोठी नं0 8 बीकानेर।	

उप नगर नियोजक, सिंचित क्षेत्र विकास कृषि भवन, जयपुर रोड, बीकानेर	संस्थापन,लेखा,वित्त, चिकित्सा, यात्रा भत्ता सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश इं. गां.न.प. क्षेत्र में अधिघोषित/विकसित की जाने वाली मण्डी, कृषि सेवा केन्द्र आबादी के विकास प्लान	राज्य सरकार के संबंधित विभाग उप नगर नियोजक, सिंचित क्षेत्र विकास कृषि भवन, जयपुर रोड, बीकानेर	
वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, सिंचित क्षेत्र विकास, कोठी नं0 8 बीकानेर।	संस्थापन,लेखा,वित्त,चिकित्सा,यात्रा भत्ता सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश, भू-जल स्तर के आकलन एवं जल भराव के निराकरण के संबंधी रिपोर्ट	राज्य सरकार के संबंधित विभाग वरिष्ठभू-जल वैज्ञानिक, सिंचित क्षेत्र विकास, कोठी नं0 8 बीकानेर।	
अतिरिक्त कलक्टर, मण्डी विकास समिति, कोठी नं. 8 बीकानेर।	संस्थापन,लेखा,वित्त,चिकित्सा,यात्रा भत्ता सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निर्देश मण्डी टारुन्स के विकास, नीलामी एवं आवंटन संबंधित प्रक्रियाओं के संपादन हेतु-मण्डियों के भू-खण्डों का आवंटन व विक्रय शर्तें नियम 1973	राज्य सरकार के संबंधित विभाग अतिरिक्त कलक्टर, मण्डी विकास समिति, कोठी नं. 8 बीकानेर।	

मैनुअल-4

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्ष के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण। नीति निर्धारण हेतु:-

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्ष/भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र.सं	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1.	सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण	हाँ	प्राधिकरण में क्षेत्रीय सांसद सदस्य है एवं जिला प्रमुख/ विधायक/ प्रधान/कृषक प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जन प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किये गये हैं।
2.	डिग्गी फव्वारा अनुदान स्वीकृति हेतु सलाहकार समिति	हाँ	डिग्गी फव्वारा पर जिन कृषकों को अनुदान स्वीकृत करना है उनको अनुदान स्वीकृति हेतु सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन अतिरिक्त आयुक्त क्षेत्रीय विकास, बीकानेर एवं जेसलमेर की अध्यक्षता में किया जाता है। इस बैठक में आवेदक के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा सदस्य, पंचायत समिति प्रधान भाग लेते हैं। इन जन प्रतिनिधियों की राय को मद्देनजर रखते हुए अनुदान स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।
3.	राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उपनिवेशन क्षेत्र की मण्डियों में भूमि का विक्रय तथा आवंटन) शर्तें 1973 की शर्त संख्या 3(1) के तहत गठित समिति	हाँ	शर्त संख्या 3(1) के तहत संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में निम्न क्षेत्रीय जन प्रतिनिधिगण सम्मिलित किये गये हैं: 1. लोकसभा सदस्य 2. विधायक 3. प्रमुख जिला परिषद 4. प्रधान इस समिति द्वारा मंडी क्षेत्र में विभिन्न प्रयोजनार्थ सेक्टर्स का निर्धारण किया जाता है। सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि का निष्पादन इस समिति की राय से किया जाता है।

मैनुअल-5

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण

क्रसं	संवर्ग	दस्तावेज कानाम एवं पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	संस्थापन संबंधी	राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश, स्थानान्तरण/पदस्थापन वरिष्ठता, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, वेतन वृद्धि, वेतन स्थिरीकरण एवं अन्य सेवा सम्बन्धित कार्य। अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतें। भंडार सम्बन्धित कार्य।	निर्धारित प्ररूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय समय में देय शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।	संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2.	लेखा एवं वित्त संबंधी	समस्त प्रकार के बिलों की जांच, बजट सम्बन्धित कार्य, साख पत्र, मासिक व्यय, चैक जारी करना, अंक मिलान, रॉयल्टी, सैलटैक्स, पुनर्वियोजन, चोरी, गबन, लेखा, ओ.बी.आईटम, रिजर्व स्टॉक लिमिट, एरियर रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, RLDC, स्वीकृतियां, ऑडिट, पैरा, ड्राफ्ट पैरा, सीएजी, पीएसी, एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट, नवीन वेतनमानों में वेतन स्थिरीकरण, आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदन।	-डू-	वित्तीय सलाहकार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर वरि. लेखा. अधि. सीएडी, गंगनहर परि., श्रीगंगानगर कार्या. वरि.लेखा.अधि. कार्य-III, सीएडी, भादरा (हनुमानगढ़) लेखाधिकारी सिविल भुगतान वरि. लेखाधिकारी, इकाई मुख्य अभियन्ता, सीएडी, इंगानप बीकानेर।
3.	विधि शाखा	विभाग से सम्बन्धित समस्त न्यायिक प्रकरण, मध्यस्थता प्रकरण, 80 C.P.C. नोटिसेज एवं नोटिस फॉर डिमाण्ड ऑफ जस्टिस के प्रकरण।	-डू-	संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

4.	डिजाईन एवं मोनिटरिंग शाखा (डी एण्ड एम)	विभिन्न तकनीकी परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, वार्षिक निर्माण कार्यक्रम तैयार करना एवं क्रियान्वति एवं प्रगति की नियमित मोनिटरिंग फील्ड टेस्टिंग से सम्बन्धित कार्यों का निरीक्षण/जाँच/प्रतिवेदन/चक स्कीमों की तकनीकी जाँच एवम उनसे सम्बन्धित शिकायतों की निवारण कार्यवाहियां। विधायकों/ मंत्रियों/ लोकसभा/राज्यसभा सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटारा।	-डू-	अधीक्षण अभियन्ता (डी एंड एम) इकाई, मुख्य अभियन्ता
5.	कृषि एवं भू-सर्वेक्षण विश्लेषण रिपोर्ट	मिट्टी एवं पानी के नमूनों के विश्लेषण की रिपोर्ट	-डू-	उप निदेशक, कृषि एवं भू सर्वेक्षण
6.	कृषि विस्तार	1-डिग्गी फव्वारा 2-केवल फव्वारा 3-बूंद बूंद से सिंचाई 4-उन्नत कृषि यंत्र 5-जिप्सम 6-जैव उर्वरक 7-पौध संरक्षण रसायन	-डू-	उप निदेशक, कृषि विस्तार, सीएडी बीकानेर एवं जिला विस्तार अधिकारी बज्जू, बीकमपुर, मोहनगढ कार्यालय
7.	विकास प्लान	मंडी कृषि सेवा केन्द्र एवं आबादीयों के विकास प्लान	-डू-	उप नगर नियोजक
8.	भू-खण्डों के संबंध में	राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत पारित निर्णय एवं राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र की मंडियों में भूमि का विक्रय एवं आवंटन) शर्तें, 1973 के तहत पारित निर्णय एवं विक्रय विलेख	-डू-	अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव मंडी विकास समिति, बीकानेर

मैनुअल –6

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर निम्नलिखित है।

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. संबद्ध संस्था का नाम व पता— | प्रायोज्य नहीं |
| 2. संबद्ध संस्था का प्रकार— | प्रायोज्य नहीं |
| 3. संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय— | प्रायोज्य नहीं |
| 4. संबद्ध संस्था की भूमिका— | प्रायोज्य नहीं |
| 5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य— | प्रायोज्य नहीं |
| 6. मुख्य अधिकारी का नाम— | प्रायोज्य नहीं |
| 7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते— | प्रायोज्य नहीं |
| 8. बैठक की आवृत्ति— | प्रायोज्य नहीं |
| 9. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है— | प्रायोज्य नहीं |
| 10. क्या बैठक की कार्यवृत्त तैयार किया जाता है— | प्रायोज्य नहीं |
| 11. क्या जनता बैठक का कार्यक्रम प्राप्त कर सकती है ? अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें— | प्रायोज्य नहीं |

मैनुअल -7

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विषिष्टियां

लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेंट अथोरिटी के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप में सूचना

लोक प्राधिकरण का नाम:- सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।

लोक सूचना अधिकारी

क्रं सं	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री आर.के. जायसवाल आर.ए.एस.	अति. आयुक्त	0151	2226802	9829217 400	2226821	—	सादुलगंज, बीकानेर।

विभागीय अपीलेंट अथोरिटी

क्रं सं	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री सुबीर कुमार, आई.ए.एस	आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।	0151	2226800	2226041	2226821	—	कोठी नं. 26 सिविल लाइन्स, बीकानेर

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एसटीडी कोड	टेलीफोन नं.		फैक्स / ईमेल पता
				कार्या.	आवा.	
1	श्री हँसराज	वित्तीय सलाहकार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।	0151	2226803	2226804 9414076622	—
2	डॉ. आर.के. शर्मा	उपायुक्त क्षेत्रीय विकास, इ.गां.न.प., बीकानेर।	0151	2226814	9414119539	2226821
3	श्री राजेश कुमार चौहान (अति. कार्यभार)	अति. जिला कलक्टर एवं सचिव, मण्डी विकास समिति, बीकानेर।	0151	2226019	94140684466	2226821
4	श्री एम.आर. डूडी	अधीक्षण अभियंता, फी.टे. एवं गु. नियं. वृत्त, सीएडी, बीकानेर।	0151	2226834	2226835	—
5	श्री हरिश चन्द्र शर्मा	उप निदेशक (कृषि एवं भू सर्वेक्षण) सीएडी, बीकानेर	0151	2226806	9414426582	—
6	श्री संजीव वर्मा (अति. कार्यभार)	वरिष्ठ भू-जल वैज्ञा. सीएडी, इंगानप, बीकानेर	0151	2226814-18 एक्स. 212	9414637052	—
7	श्री प्रेमसिंह (अति. कार्यभार)	उप निदेशक (कृषि वि.) सीएडी, बीकानेर।	0151	2226814-18 एक्स. 2.8	9829232998	—
8	श्री पुनीत शर्मा (अति. कार्यभार)	उप नगर नियोजक, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।	0151	2226810	9414242995	—
9	श्री एस.एस.सुथार	तकनीकी सहा. कृते आयुक्त, सीएडी, बीकानेर।	0151	2226814-18 एक्स. 238	2226809	2226821

मैनुअल-8

निर्णय लेने की प्रक्रिया

किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :- लोक प्राधिकरण एवं अधीनस्थ कार्यालयों में नियमों, परिपत्रों एवं दिशा निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा विषय विशेष पर निर्णय लिया जाता है।

विषय विशेष पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया :- विषय विशेष पर निर्णय लेने के लिये कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों/ अधीनस्थ अधिकारियों से टिप्पणियां प्राप्त कर प्रकरण का नियमों के तहत निस्तारण किया जाता है। यदि प्रकरण विशेष प्रकृति का है तो विभागीय स्तर पर कमेटी का गठन कर कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त कर उसका परीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। जहां किसी विषय विशेष का प्रत्यक्ष सम्बन्ध राज्य सरकार से हो तो उन प्रकरणों को प्रशासनिक विभाग को राय सहित अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया जाता है।

लिये गये निर्णयों को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था :- इस लोक प्राधिकरण द्वारा मुख्यतः निर्माण कार्य कराये जाते हैं। निर्माण सम्बन्धी कार्यों में जनभागीदारी सम्मिलित होती है। अतः निर्णय की श्रेणी में नहीं आते हैं।

किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने हेतु प्राप्त की जाती है ? :- वित्तीय मामलों में वित्तीय सलाहकार, विधिक मामलों में सहायक विधि परामर्शी एवं अन्य प्रकरणों में इकाई प्रभारी से राय ली जाती है।

अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी :- अधिनियम/नियमों एवं अधिकार सूची के तहत सक्षम अधिकारी।

मैनुअल-9
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

सीएडी संगठन (प्राधिकरण) में पदों की स्थिति

क्र.सं.	इकाई	स्वीकृत पद	भरे हुवे पद	रिक्त पद
1.	प्रशासनिक इकाई	283	165	118
2.	अभियांत्रिकी इकाई	629	344	285

अधिकारीगण:-

	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष		फैक्स नं0	ई मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री सुबीर कुमार, आई.ए.एस.	आयुक्त	0151	2226800	222604 1	2226821	-	कोठी नं. 26 सिविल लाइन्स, बीकानेर
2.	श्री आर.के. जायसवाल आर.ए.एस.	अति. आयुक्त	0151	2226802	982921 7400	-	-	सादुलगंज, बीकानेर।
3.	श्री राजेश कुमार चौहान	ए.डी.एम. मंडी विकास समिति (अति. कार्यभार)	0151	2226019	941408 4466	-	-	कोठी नं. 28 - ढोलामारु के सामाने बीकानेर
4.	डॉ.आर.के.शर्मा, आर.ए.एस.	उपायुक्त	0151	2226815	941411 9539	-	-	II/कृषि/सेक्टर-5, जेएनवी, बीकानेर
5.	श्री एस.एस. सुथार	तकनीकी सहा. कृते आयुक्त, सीएडी, बीकानेर	0151	2226814-1 8 एक्स. 238	921498 4098	-	-	बी-412, कान्ता खतुरिया कॉलोनी, बीकानेर
6.	श्री हंसराज	वित्तीय सलाहकार	0151	2226803/ पीबीएक्स207	222680 4	-	-	35-36 हल्दीराम प्याउ के पास मयूर बिहार बीकानेर
7.	श्री सुरेशचन्द्र जाजू (अति. प्रभार)	उपनिदेशक (सांख्यिकी)	0151	2226814	941496 8850	-	-	3-डी-7 जेनवी, बीकानेर
8.	श्री सागरमल जांगिड	लेखाधिकारी	..	-,,-261	941372 6173			5ई-337 जेनवी, बीकानेर
9.	श्री तुलसीराम	लेखाधिकारी	..	-,,-260	941317 2772			नख्त बना मंदिर के पास पुरानी लाईन, गंगाशहर
10.	श्री मोहनलाल खत्री	लेखाधिकारी	..	211	941376 9756	-	-	छबीली घाटी, बीकानेर
11.	श्री पुनीत शर्मा	उपनगर नियोजक (अति. कार्यभार)	0151	2226810	941424 2995	-	-	14, नवज्योति कालोनी, बीकानेर
12.	श्री राकेश कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता	0151	2226814/23 8	223044 0	-	-	सी-78(बी) कांता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर
13.	श्री मनोज बंसल	प्रोग्रामर	0151	2226814/22 1	946115 9359	-	-	बी-210 करणी नगर लालगढ बीकानेर
14.	श्री हरीश चन्द्र शर्मा	उपनिदेशक कृषि एवं भू सर्वेक्षण	-	-	94144 26582	-	-	5डी-15 हुडको क्वार्टर्स, जेएनवी, कॉलोनी, बीकानेर
15.	श्री मो. अजमल सईद	उपनिदेशक (शस्य)	-	-	9602436 370	-	-	राज. कृषि अनुसंधान केन्द्र नाचना

16.	श्री प्रेमराम	सकृअअ (रसायन)	—	—	978247 3464	—	—	गली नं.20,रामपुरा बस्ती, बीकानेर
17.	श्री विक्रम सिंह बीठू	सकृअअ (रसायन)	—	—	941393 7801	—	—	40, मयूर विहार,जयपुर रोड़ बीकानेर
18.	श्री के.के.सिंह	सकृअअ (रसायन)	—	—	946041 4377	—	—	4-ई-321, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर ।
19.	श्री बंशीधर मीणा,	उपनिदेशक (शास्य)	—	—	941337 0026	—	—	राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, मोहनगढ
20.	श्री संजीव वर्मा (अति.कार्यभार)	कनिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक	0151	2226814-18	941463 7052	—	—	सी-118/II-6 सीएडी क्वाटर्स जेएनवी कॉलोनी बीकानेर
21.	श्री प्रेम सिंह	उप निदेशक, कृषि विस्तार (अति. कार्यभार)	0151	2226819	982923 2998	—	—	गाँव/पोस्ट गादौली त0 नदबई भरतपुर
22.	श्री प्रेम सिंह	कृषि अधि0 बज्जू	0151	2226819	982923 2998	—	—	गाँव/पोस्ट गादौली त0 नदबई भरतपुर
23.	श्री प्रेम सिंह	कृषि अधि0 बीकमपुर	0151	2226819	982923 2998	—	—	गाँव/पोस्ट गादौली त0 नदबई भरतपुर

कर्मचारीगण:-

उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास, इकाई

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एसटी डी कोड	दूरभाष		फैक्स नं०	ई मेल नं.	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री विनोद कुमार शर्मा,	निजी सचिव	0151	2226814 / 217	9461326820	-	-	गौड सभा भवन के पास, रानी बाजार, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
2	श्री मोहम्मद अली	निजी सहायक	0151	2226814 / 269	3292171 9929955593	-	-	रामपुरा बस्ती / कुचीलपुरा, बीकानेर।
3	श्री प्रदीपकुमार बैद	निजी सहायक	0151	222683 / 251	2547998	-	-	बागडी मोहल्ला, बीकानेर।
4	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	शीघ्र लिपिक	0151	2226814 / 217	9460703113	-	-	श्री करणीमाताजी मन्दिर के पास, जस्सूसरगेट के बाहर, बीकानेर।
5	श्री रणजीतसिंह चौहान	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	0151	2226814 / 222	2203203	-	-	बागडी मोहल्ला, पारखों की झोंक, बीकानेर।
6	श्री अशोक चन्द्रन	सहायक प्रोग्रामर	0151	2226814 / 221	2232602	-	-	सी-135 / 4 / 28, सीएडी क्वार्टर्स जेएनवी कॉलोनी बीकानेर
7	श्री राजेन्द्र कुमार पालीवाल	कनिष्ठ लेखाकार	0151	2226814 / 263	9214436543	-	-	झंवरों का बास, बारह गुवाड बीकानेर।
8	श्री नन्द लाल हर्ष	कार्यालय अधीक्षक	0151	2226814 / 214	2203694	-	-	मोहता चौक, भैरुजी की गली, बीकानेर।
9	श्री रमेश कुमार छीपा	सहायक कार्यालय अधीक्षक	0151	2226814 / 214	3297450	-	-	छीपों का मोहल्ला, गंगाशहर रोड, बीकानेर।
10	श्री राम प्रसाद सांखला	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 226	2046021	-	-	परदेसीयों की बगेची के पास, रानी बाजार, बीकानेर।
11	श्री जगदीश मोदी,	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 228 / 217	2545910	-	-	महिला मण्डल, स्कूल के सामने, बीकानेर।
12	श्री सुरेश कुमार जोशी	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 214	2529385	-	-	के.जी. कॉम्प्लेक्स के पीछे, रानी बाजार, बीकानेर।
13	श्री सूरजमल खत्री	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 263	2254873	-	-	भैरु जी की हवेली के पीछे, कुचीलपुरा, बीकानेर।
14	श्री किसनलाल माली	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 222	-	-	-	नत्थूसर गेट के अन्दर बीकानेर
15	श्री रामनारायण स्वामी	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 263	9782868637	-	-	नत्थूसर गेट के बाहर, बीकानेर
16	श्री रमेश कुमार चौधरी	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 214	8764024347	-	-	सुदर्शना नगर, बीकानेर।
17	श्री जतन लाल श्रीमाली	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 269	2528587	-	-	भट्टडों का चौक, बीकानेर।
18	श्री कैलाश चन्द्र,	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 263	2540413	-	-	सादुल कालोनी, बीकानेर
19	श्री बजरंग लाल व्यास	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 263	2524992	-	-	कीकाणी व्यासों का चौक, बीकानेर।
20	श्री गणेश लाल सुथार	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 263	-	-	-	विश्वकर्मा गेट के अन्दर बीकानेर।
21	श्री सत्यवीर जैन	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 228	-	-	-	नगर परिषद के सामने, बीकानेर।
22	श्री सोहनलाल जनागल	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814 / 242	-	-	-	बारह गुवाड बीकानेर।

23	श्री अखलाक मोहम्मद,	इलैक्ट्रीशियन कम पम्प ऑपरेटर	0151	2226814 / 227	-	-	-	मोहल्ला चुनगरान, बीकानेर।
24	श्री पवनकुमार पाण्डे	पम्प चालक	0151	2226814 / 227	-	-	-	चौतीना कुआ, बीकानेर।
25	श्री दुली चन्द	वाहन चालक	0151	2226814 / 246	-	-	-	महिला जागृति स्कूल के सामने गली, सादुलगंज, बीकानेर।
26	श्री राजेन्द्रकुमार	वाहन चालक	0151	2226814 / 246	2260509	-	-	14 / 107 मुक्ताप्रसादनगर, बीकानेर।
27	श्री वकीलसिंह	वाहन चालक	0151	2226814 / 246	-	-	-	मुक्ताप्रसादनगर, बीकानेर।
28	श्री युसूफ अली	जमादार	0151	2226800 / 217	-	-	-	मोहल्ला कोरियान , मस्जिद के पीछे ,बीकानेर।
29	श्री बसंत कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0151	2226814 / 217	-	-	-	जेल वेल टंकी के पास, बीकानेर।
30	श्री रोहिताश्व सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0151	2226814 / 228	-	-	-	सी-71 / पंचम / 18 जेएनवी कालोनी, बीकानेर।
31	श्री दीपचन्द	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0151	2226814 / 214	-	-	-	सी-98 / V / 45 जेएनवी, सीएडी क्वार्टर्स, बीकानेर।
32	श्री सादिक हुसैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0151	2226814 / 214	-	-	-	सी- / V / जेएनवी, सीएडी क्वार्टर्स, बीकानेर।
33	श्री कुन्नी देवी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0151	2226814 / 269	-	-	-	सर्वोदय बस्ती, बीकानेर।
34	श्री दुली चन्द	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0151	2226814 / 222	-	-	-	गंगाशहर पुलिस थाने के पीछे गंगाशहर बीकानेर।
35	श्री विष्णुभाटी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0151	2226814 / 269	-	-	-	एम.एस. कॉलेज के पीछे, राणीसर बास, बीकानेर
36	श्री शेरुद्दीन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0151	2226814 / 214	-	-	-	चौखुटी बीकानेर।
37	श्री पन्नेसिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0151	2226814 / 214	-	-	-	चौखुटी बीकानेर।

वित्तीय सलाहकार इकाई

1	श्री बेनीमाधव परिहार	सलेअ II	..	2226814 / 18	9602485157	-	-	श्रीरामसर बीकानेर
2	श्री आनन्द सिंह	सलेअ I	..	250	9468939762	-	-	386-कैलाषपुरी, बीकानेर
3	श्री इन्द्रसेन सहारण	सलेअ. II	9414143984	-	-	सर्वोदय बस्ती, बीकानेर
4	श्री रविकुमार व्यास	9413372989	-	-	रताणीव्यासों का चौक बीकानेर
5	श्री नन्दकिशोर पुरोहित	व.नि.स.	..	2226803	9829320620	-	-	सी-37, एमडीवी, बीकानेर
6	श्री दीनदयाल खडगावत	सलेअ. II	..	2226814-18-2 59	9414036076	-	-	चम्पालाल ज्वैलर्स के सामने, पवनपुरी, बीकानेर
7	श्री पवन पारीक	2226814-18-2 59	9328122690	-	-	आषापुरा मंदिर के पास, जस्सूसर गेट, बीकानेर
8	श्री जुगल किशोर शर्मा	---, -258	9414416705	-	-	विष्वकर्मा कॉलोनी हमालों की बारी बीकानेर।
9	श्री लक्ष्मीनारायण	---, -259	9214543695	-	-	जस्सूसर गेट के अंदर बीकानेर
10	श्री पवन कौशिक	9829379760	-	-	इंगानप कॉलोनी, बीकानेर
11	श्री रमेश कुमार तनेजा	का.स.	..	---, -247	9351493920	-	-	2स / 11 पवनपुरी, बीकानेर
12	श्री महेश कुमार ओझा	व.लि.	..	---, -258	8233535432	-	-	बारह गुवाड बीकानेर
13	श्री घनश्याम शर्मा	9461296579	-	-	उदासर,

14	श्री पारसदास	"	"	—258	9783245794	—	—	सुभाष पेट्रोल पम्प के पास, सागर रोड, बीकानेर ।
15	श्री ओमहरि पाठक	"	"	"	9828767929	—	—	डी मुरलीधर व्यास कालोनी,
16	श्री शिवपंकर मोदी	क.लि.	"	" 250	9413211980	—	—	कमला कॉलोनी बीकानेर
17	श्री श्रवणकुमार	"	"	—, —251	9530219900	—	—	बडी जसोलाई बीकानेर
18	मेघराज गहलोट	व.लि.	"	—, —259	9252060144	—	—	किसमीदेसर, बीकानेर
19	श्री प्रतापसिंह	क.लि0."	"	—'—259	8058564676	—	—	गली नं.2, पिवकॉलोनी, बीका
20	श्री विपिन व्यास	"	"	—, —262	2200885	—	—	आचार्यो का चौक बीकानेर
21	श्री अमित जोषी	"	"	" 250	9414336333	—	—	3क/8 पवनपुरी बीकानेर
22	श्री भगवतीलाल	"	"	— 262	9829640025	—	—	विवेकानन्द स्कूल के पीछे, जेएनवी, बीकानेर
23	श्री भुवनेश भारतीय	"	"	"	9460223518	—	—	दम्माणी चौक, बीकानेर
24	श्री करणीसिंह	"	"	—	—	—	—	रानीसर बास, बीकानेर
25	श्री राधेष्णाम पाण्डे	वा.चा.	"	—, —251	2541790	—	—	माताजी का मंदिर पुरानी गिन्नाणी बीकानेर
26	श्री सत्यनारायण	जमादार	"	—, —251		—	—	शेखों का मौ.रोशनी घर चौराहा, बीकानेर
27	श्री चेतनराम	चश्रेक	"	—, —251	9602667980	—	—	पाबूबारी बीकानेर
28	श्री जगदीश प्रसाद	"	"	" 259	3295043	—	—	सादुल पब्लिक स्कूल के पीछे बीकानेर ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना-2600

1	श्री किसनलाल माली	लिपिक ग्रेड-1	0151	2226814/222	—	—	—	नत्थूसर गेट के अन्दर बीकानेर
---	-------------------	---------------	------	-------------	---	---	---	------------------------------

परियोजना निदेशक कृषि अनुसंधान एवं भू सर्वेक्षण इकाई

1	श्री केसरी चंद सेठिया	क0 लेखाकार	—	—	9413726054	—	—	जैन कॉलोनी उदासर, बीकानेर
2	श्री धीरज कुमार	जेएसए	—	—	9414452042	—	—	पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर
3	श्री महेशकुमार खत्री	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	—	—	9214956845	—	—	बी-50, करणी नगर, लालगढ, बीकानेर
4	श्री राजेन्द्र कुमार	क0लि0	—	—	9636244788	—	—	3-डी-14, जेएनवी बीकानेर
5	श्री मोहनलाल	क0लि0	—	—	8107115984	—	—	परदेशियों की बगेची के पीछे रानी बाजार, बीकानेर
6	श्री मो0सुल्तान चौहान	क0लि0	—	—	8560907410	—	—	महिला मण्डल स्कूल के सामने, बीकानेर
7	श्री रेवन्त सिंह भाटी	क0लि0	—	—	9784480667	—	—	एम एम हास्पिटल के पास, बीकानेर
8	श्री श्याम लाल,	जमादार	—	—	9461036403	—	—	कसाइयों की बारी, छोटी गुवाड, बीकानेर
9	श्री सुरेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	—	—	9667147225	—	—	23/5/07, 34 नं. कोटी के सामने, सिविल लाईन, बीकानेर
10	श्री रेंवत सिंह	प्रयोगशाला च.श्रे.क.	—	—	8003382436	—	—	84 कैलाशपुरी, बीकानेर
11	श्री छल्लू राम	प्रयोगशाला परिचारक	—	—	9314559112	—	—	मंदा हाउस, वैष्णों धाम के पीछे, जयपुर रोड, बीकानेर ।
12	श्री विक्रम सिंह	प्रयोगशाला परिचारक	—	—	9413467475	—	—	5/45 एमपी नगर, बीकानेर
13	श्रीमती सीमा व्यास	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	—	—	9352842185	—	—	लाली बाई पार्क के पास, नत्थूसर गेट के बाहर, बीकानेर

एटीसी गोडू

14	रिक्त	—	—	—	—	—	—	—
15	रिक्त	—	—	—	—	—	—	—

एटीसी नाचना

16	श्री लूम सिंह,	कृषि पर्यवेक्षक	—	—	9983008808	—	—	सीएडी, कालोनी, नाचना
17	श्री मुकेश सिंह,	चौकीदार	—	—	—	—	—	सीएडी, कालोनी, नाचना

एटीसी मोहनगढ

18	श्री माना राम,	चौकीदार	—	—	—	—	—	राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, मोहनगढ
19	श्री बाबू खां,	माली	—	—	—	—	—	राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, मोहनगढ

उप निदेशक कृषि विस्तार इकाई

1	सतीश कुमार गेदर	सहायक कृषि अधिकारी बीकानेर	151	2226819	9468572609	—	—	गली नं-8 रामपुरा बस्ती, बीकानेर
2	पालाराम	—	—	—	9772700221	—	—	गर्वेन्मेंट प्रेस के सामने बीकानेर
3	प्रवीण शर्मा	मशीन ऑ०	—	—	9468832267	—	—	3-ख-30 पवन पुरी बीकानेर
4	ओम प्रकाश पारीक	—	—	—	9252419900	—	—	मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर
5	राजेश पारीक	क०लि०	—	—	2541275	—	—	जगमन कुआ बीकानेर
6	सहदेव सिंह	—	—	—	9982380734	—	—	सी-22/5/6 कोठी नं०-34 के पीछे बीकानेर
7	गजानन्द मेहरा	चश्रैकर्म०	—	—	9252012509	—	—	शांति निवास मेहरा मोहल्ला नगर परिषद के पीछे बीकानेर
8	रसपाल सिंह मोटा	—	—	—	9636006536	—	—	5/1 कृषि क्वार्टर जेएनवी बीकानेर
9	तेजपाल	सकृअ० बज्जू	—	—	2251527	—	—	210 पटेल रोड पुरानी आबादी वार्ड नं०-23 गंगानगर
10	सुरेश चन्द्र पाली वाल	—	—	—	9636012331	—	—	गाँव मोखा पो० झंझू जिला बीकानेर
11	ओम प्रकाश	—	—	—	9828831220	—	—	गाँव माना रामपुरा संगरिया हनुमानगढ
12	हनुमान दत्त	—	—	—	9460783110	—	—	डी/217,218 मुरलीधर व्यास नगर बीकानेर
13	कृष्ण लाल	—	—	—	9460204738	—	—	हरिपुरा संगरिया हनुमानगढ
14	दयाराम	—	—	—	9784384234	—	—	चाँईया तह० नोहर हनुमानगढ
15	गुरजंत सिंह	—	—	—	9460119358	—	—	गाँव पोस्ट बोलावाली तहसील संगरिया हनुमानगढ
16	हरिराम मीणा	—	—	—	9660675752	—	—	मुकाम धूडासी पो० आटूनकला तह० व जिला सवाईमाधोपुर
17	ब्रहम्मा नंद मीणा	—	—	—	9929586542	—	—	चौधरी मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर
18	तीर्थ सिंह	—	—	—	9928886813	—	—	ग्राम भान्डेवाली पो० पूगल बीकानेर
19	राजेन्द्र पहाडिया	—	—	—	9460127258	—	—	ग्राम बिसाउ तह० व जिला झुंझनु
20	देवेन्द्र सिंह	—	—	—	9950491757	—	—	ग्राम पो० मुकेरा तह० संगरिया हनुमानगढ
21	श्री किशन लाल	व०लि०	—	—	9001384191	—	—	एमपी नगर रोड सर्वोदय बस्ती बीकानेर
22	भैरुदान	क०लि०	—	—	9460619225	—	—	भास्कर कार्यालय के पीछे पुरानी गिन्नानी बीकानेर
23	उमाराम	चश्रैकर्म०	—	—	9413193233	—	—	ग्राम पो० मलसीसर तह० सुजानगढ चूरु

24	नत्थुसिंह	सकूअ0 बीकमपुर	—	—	9799027491	—	—	सुभाषपुरा वार्ड नं0-3 बीकानेर
25	स्वर्ण सिंह	कृषि पर्य0	—	—	9950023930	—	—	वीपीओ हरिपुरा संगरिया हनुमानगढ
26	जग्गा सिंह	—“—	—	—	9799331938	—	—	गाँव 28 एमएल पो0 31 एमएल तह0 रामसिंहनगर श्रीगंगानगर
27	रविन्द्र कुमार	—“—	—	—	9928036199	—	—	गाँव धरवाट पो0 जसवन्तनगर जि0 इटावा यू0पी0
28	सुरेश चन्द्र पाल	कृषि पर्य0 मोहनगढ	—	—“—	—	—	—	3 बीएलएम लेखराम की ढाणी
29	दिलीप सिंह भाटी	—“—	—	—“—	—	—	—	मुख्यालय 14 आरडी
30	राम खिलाडी मीणा	—“—	—	—“—	—	—	—	जगदीश सुथार की ढाणी चक 3 केपीएम
31	भवानी सिंह	चोकीदार	—“—	—“—	—	—	—	कृषि क्वार्टर-आ

वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक इकाई

1	श्री रामप्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	0151	2226814-18	09413190635	—	—	-ई-12, जे.एन. बी. कोलोनी, बीकानेर
2	श्री आसू सिंह	फैरोमेन	0151	2226814-18	9261203541	—	—	विष्वकर्मा मन्दिर के पीछे, पुगल रोड, सर्वोदय, बस्ती बीकानेर
3	श्री अर्जुन सिंह	तकनीकी वाहक	0151	2226814-18	977209350	—	—	अल्लादीन की चक्की के पास, सुभाषपुरा, बीकानेर
4	श्री कन्हैया लाल	तकनीकी वाहक	0151	2226814-18	9460504179	—	—	राकांवात टैन्ट हाउस के सामने, लगन स्टूडियो वाली गली, गजनेर रोड, चौखूँटी, बीकानेर
5	श्री श्रवण कुमार	तकनीकी वाहक	0151	2226814-18	9784331419	—	—	खेताराम की बाडी, अषोकनगर रोड, तिलक नगर के पीछे बीकानेर

उप नगर नियोजक इकाई

1	लीलाधर जोशी	स.ले.अ. आ	0151	2226810	9214659270	—	—	पारीक चौक, सत्यनारायण मंदिर के पास, बीकानेर
2	ओमप्रकाश चौधरी	क. प्रारूपकार	0151	2226810	7742322823	—	—	बी-4/5 पटेल नगर बीकानेर
3	हरिराम कालवा	लिपिक ग्रेड-आ	0151	2226810	9460617127	—	—	म.न. 5/71 मुक्ता प्रसाद कॉलोनी के सामने, बीकानेर
4	गजराम	च.श्रे.क	0151	2226810	9784728994	—	—	सीएडी क्वार्टर्स जेएनवी नगर बीकानेर
5	श्रीमती सुशीला	च.श्रे.क	0151	2226810	7734061975	—	—	भूकरका हाउस, भुटटो का चौराहा पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर

मंडी विकास समिति, बीकानेर

1	राजेन्द्र खत्री	कनिष्ठ लेखाकार	0151	2226019	9252147973	—	—	केयर आफ मेघा मेडिकोज श्री लक्ष्मी नाथ जी मन्दिर मार्ग बीकानेर
2	श्री गोविन्द नारायण	कनिष्ठ लिपिक	0151	2226019	9460893656	—	—	मोहतो का चौक बीकानेर
3	श्री भगाराम पटवारी	पटवारी	0151	2226019	9261763440	—	—	एस.बी.बी.जे. के पीछे गली में भीनासर
4	श्रीमती सुमन कुमावत	पटवारी	0151	2226019	9461047678	—	—	गणेश टेन्ट के पास नई लाईन गंगाशहर
5	श्रीमती प्रीतिमा	पटवारी	0151	2226019	9413681883	—	—	इन्द्रा कॉलोनी एफ.सी.आई गोदाम के पास बीकानेर
6	श्री पूर्णाराम	च.श्रे.क.	0151	2226019	9468566815	—	—	उदयरामसर
7	श्री प्रहलाद	च.श्रे.क.	0151	2226019	9829871556	—	—	इन्द्रा कॉलोनी एफ.सी.आई गोदाम के पास बीकानेर

मैनुअल-10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उनके निर्धारण की पद्धति

अधिकारीगण:-

क्र.सं.	नाम	पद	मासिक पारिश्रमिक माह	परितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण को पद्धति
1	श्री सुबीर कुमार आई.ए.एस.	आयुक्त	-	-	-
2	श्री आर.के. जायसवाल	अतिरिक्त आयुक्त	101504	-	-
3	श्री राजेश कुमार चौहान आर.ए.एस.	ए.डी.एम. मंडी विकास समिति (अति. कार्यभार)	-	-	-
4	डॉ. आर.के. शर्मा	उपायुक्त क्षेत्रीय विकास	74822	-	-
5	श्री हंसराज	वित्तीय सलाहकार	114625	-	-
6	श्री श्याम सुन्दर सुथार	तकनीकी सहायक	77020	-	-
7	रिक्त	उपनिदेशक (सांख्यिकी)	-	-	-
8	श्री पुनीत शर्मा	उपनगर नियोजक (अति. कार्यभार)	-	-	-
9	श्री संजीव वर्मा (अति. कार्यभार)	कनिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक	-	-	-
10	श्री राकेश कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता	58452	-	-
11	श्री मनोज बंसल	प्रोग्रामर	53062	-	-
12	श्री सागरमल जांगिड	लेखाधिकारी	74787	-	-
13	श्री तुलसीराम	लेखाधिकारी	74787	-	-
14	श्री मोहनलाल खत्री	लेखाधिकारी	73244	-	-
15	श्री प्रेम सिंह	उप निदेशक (अतिरिक्त कार्यभार)	47900	-	-
16	श्री प्रेम सिंह	ज़ि.वि.अ. बज्जू	47900	-	-
17	श्री प्रेम सिंह	कृषि अधि० बीकमपुर	47900	-	-
18	श्री हरीशचन्द्र शर्मा	उपनिदेशक कृषि एवं भू सर्वेक्षण	83450	-	-
19	श्री बंशीधर मीणा	उपनिदेशक (शस्य)	72471	-	-
20	श्री मोहम्मद अजमल सईद	उपनिदेशक (शस्य)	77377	-	-
21	श्री प्रेमराम	सकूअअ (रसायन)	62325	-	-
22	श्री विक्रम सिंह बीटू	सकूअअ (रसायन)	68317	-	-
23	श्री के.के.सिंह	सकूअअ (रसायन)	66819	-	-

कर्मचारीगण:—

उपायुक्त इकाई

क्र.सं.	नाम	पद	मासिक पारिश्रमिक माह	परितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति
1	श्री राजेन्द्र कुमार पालीवाल	कनिष्ठ लेखाकार	43822	—	—
2	रिक्त	सहा.सांख्यिकी अधि.	--	—	—
3	रिक्त	सहा.सांख्यिकी अधि.	--	—	—
4	श्री रणजीत सिंह चौहान	सहा.सांख्यिकी अधि.	50884	—	—
5	श्री अशोक चन्द्रन	सहायक प्रोग्रामर	37200	—	—
6	श्री आदित्य भार्गव	संगणक	23949	—	—
7	श्री अखलाक मोहम्मद	विद्युत्कार	33082	—	—
8	श्री पवन कुमार पाण्डे	पम्प ऑपरेटर	28814	—	—
9	श्री राजेन्द्र कुमार	वाहन चालक	45318	—	—
10	श्री दुली चन्द	वाहन चालक	45974	—	—
11	श्री वकील सिंह	वाहन चालक	43510	—	—
12	रिक्त	वाहन चालक	-	—	—
13	रिक्त	वाहन चालक	-	—	—
14	श्री विनोद कुमार शर्मा	निजी सचिव	73060	—	—
15	रिक्त	वरिष्ठ निजी सहायक	-	—	—
16	श्री मोहम्मद अली	निजी सहायक	62852	—	—
17	श्री प्रदीप कुमार बैद	निजी सहायक	57286	—	—
18	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	शीघ्र लिपिक	57486	—	—
19	रिक्त	शीघ्र लिपिक	--	—	—
20	श्री नन्द लाल हर्ष	कार्यालय अधीक्षक	54734	—	—
21	श्री रमेश कुमार घीपा	सहा. कार्या अधीक्षक	54734	—	—
22	श्री राम प्रसाद सांखला	लिपिक ग्रेड-1	49300	—	—
23	श्री जगदीश मोदी	लिपिक ग्रेड-1	50227	—	—
24	श्री सुरेश कुमार जोशी	लिपिक ग्रेड-1	44240	—	—
25	रिक्त	लिपिक ग्रेड-1	-	—	—
26	रिक्त	लिपिक ग्रेड-1	-	—	—
27	श्री सुरजमल खत्री	लिपिक ग्रेड-1	47386	—	—
28	श्री किसनलाल माली	लिपिक ग्रेड-1	47386	—	—
29	श्री रामनारायण स्वामी	लिपिक ग्रेड-1	45802	—	—
30	श्री आसूराम	लिपिक ग्रेड-1A	46697	—	—
31	श्री कैलाश चन्द्र	लिपिक ग्रेड-1A	44988	—	—
32	श्री जतन लाल श्रीमाली	लिपिक ग्रेड-1A	45802	—	—
33	श्री सोहनलाल जनागल	लिपिक ग्रेड-1A	43454	—	—
34	श्री बजरंग लाल व्यास	लिपिक ग्रेड-1A	41754	—	—
35	श्री सत्यवीर जैन	लिपिक ग्रेड-1A	24506	—	—
36	श्री गणेशलाल सुथार	लिपिक ग्रेड-1A	21888	—	—
37	रिक्त	लिपिक ग्रेड-1A	-	—	—
38	रिक्त	लिपिक ग्रेड-1A	-	—	—
39	रिक्त	लिपिक ग्रेड-1A	-	—	—
40	रिक्त	लिपिक ग्रेड-1A	-	—	—
41	श्री युसूफ अली	जमादार	26020	—	—
42	श्री बसंत कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	25272	—	—
43	श्री रोहिताश्व सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	22950	—	—
44	श्री दीप चन्द	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	22950	—	—
45	श्री दुली चन्द	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	24810	—	—
46	श्री विष्णु भाटी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	22830	—	—
47	श्री सादिक हुसैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20210	—	—
48	श्रीमती कुन्नी देवी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	16186	—	—
49	श्री शेरुद्दीन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23540	—	—
50	रिक्त	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	--	—	—
51	रिक्त	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	--	—	—
52	रिक्त	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	--	—	—

53	श्री पन्नेसिंह	माली	16186	-	-
54	रिव्त	साईकिल सवार	-	-	-

वित्तीय सलाहकार इकाई

1	श्री बेनीमाधव परिहार	सलेअ II	54493	-	-
2	श्री आनन्द सिंह	सलेअ I,,	59737	-	-
3	श्री इन्द्रसेन सहारण	सलेअ	55651	-	-
4	श्री रविक्रम व्यास	"	13050	-	-
5	श्री नन्दकिशोर पुरोहित	व.नि.स,	65616	-	-
6	श्री दीनदयाल खड़गावत	सलेअ II	53403	-	-
7	श्री पवन पारीक	"	52359	-	-
8	श्री जुगलकिशोर शर्मा	"	52359	-	-
9	श्री लक्ष्मीनारायण	"	53358	-	-
10	श्री पवन कौशिक	"	48500	-	-
11	श्री रमेशकुमार तनेजा	का.स.	58170	-	-
12	श्री महेशकुमार ओझा	व.लि.	50362	-	-
13	श्री घनष्याम शर्मा	"	49522	-	-
14	श्री पारसदास	"	50384	-	-
15	श्री ओमहरि पाठक	व.लि.	48705	-	-
16	श्री शिवशंकर मोदी	क.लि.	50339	-	-
17	श्री श्रवणकुमार	"	46117	-	-
18	मेघराज गहलोत	व.लि.	49499	-	-
19	श्री प्रतापसिंह	क.लि.	42576	-	-
20	विपिन व्यास	"	26050	-	-
21	अमित जोषी	"	24370	-	-
22	श्री भगवतीलाल	"	27005	-	-
23	श्री भुवनेश भारतीय	"	7900	-	-
24	श्री करणीसिंह	"	25414	-	-
25	श्री राधेष्णाम पाण्डे	वा.चा.	52532	-	-
26	श्री सत्यनारायण	चश्रेव	27630	-	-
27	श्री चेतनराम	"	27221	-	-
28	श्री जगदीष प्रसाद	"	27271	-	-

परियोजना निदेशक कृषि अनुसंधान एवं भू सर्वेक्षण इकाई

1	श्री केसरी चन्द सेठिया	कनिष्ठ लेखाकार	58874	-	-
2	श्री महेश कुमार खत्री	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	65661	-	-
3	श्री धीरज कुमार	जेएसए	33091	-	-
4	श्री राजेन्द्र कुमार	कनिष्ठ लिपिक	33745	-	-
5	श्री मोहनलाल हल्दुनिया	कनिष्ठ लिपिक	25278	-	-
6	श्री रेवन्त सिंह भाटी	कनिष्ठ लिपिक	25301	-	-
7	श्री मो. सुल्तान चोहान	कनिष्ठ लिपिक	7900	-	-
8	श्री श्याम लाल	कनिष्ठ लिपिक	25542	-	-
9	श्री सुरेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20573	-	-
10	श्री रैवत सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	24225	-	-
11	श्री छल्लू राम	प्रयोग.परिचारक	28629	-	-
12	श्री विक्रम सिंह चौहान	प्रयोग. परिचारक	25001	-	-
13	श्रीमती सीमा व्यास	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20888	-	-
14	श्री लूम सिंह, एटीसी	कृषि पर्यवेक्षक	56615	-	-
15	श्री मुकेश सिंह, एटीसी	चौकीदार	21575	-	-
16	श्री माना राम, एटीसी	चौकीदार	22547	-	-
17	श्री बाबू खां, एटीसी	माली	22527	-	-

उप निदेशक कृषि विस्तार इकाई

1	सतीश कुमार गोदर	सहायक कृषि अधि०	13050	—	—
2	श्री पालाराम	—“—	61136	—	—
3	प्रवीण शर्मा	मशीन ऑ०	40060	—	—
4	ओमप्रकाश पारीक	—“—	34157	—	—
5	राजेश पारीक	लिपिक ग्रेड-II	29126	—	—
6	सहदेव सिंह	—“—	25120	—	—
7	गजानन्द मेहरा	चश्रैकर्म०	22806	—	—
8	रसपाल सिंह मोटा	—“—	18890	—	—
9	तेजपाल	स०कृ०अ० बज्जू	55360	—	—
10	गुरजंटसिंह	—“—	52780	—	—
11	सुरेशचन्द्र पालीवाल	कृषि पर्यवेक्षक	54920	—	—
12	ओमप्रकाश गिल	—“—	53100	—	—
13	हनुमानदत्त	—“—	51900	—	—
14	कृष्णलाल	—“—	49920	—	—
15	दयाराम	—“—	49920	—	—
16	हरिराम मीणा	—“—	41240	—	—
17	ब्रह्ममानंद मीणा	—“—	41240	—	—
18	तीर्थ सिंह	—“—	41240	—	—
19	देवेन्द्रसिंह	—“—	41240	—	—
20	राजेन्द्र कुमार पहाडिया	—“—	41240	—	—
21	श्री किशनलाल	व०लि०	41520	—	—
22	श्री भैरुदान सौलंकी	क०लि०	21120	—	—
23	उमाराम	चश्रैकर्म०	20660	—	—
24	नत्थुसिंह	स०कृ०अ० बीकमपुर	56660	—	—
25	स्वर्णसिंह	कृषि पर्य० बीकमपुर	41240	—	—
26	जग्गासिंह	—“—	49920	—	—
27	रविन्द्र कुमार	च०श्रै०कर्म०	20400	—	—
28	सुरेश चन्द्र पाल	कृषि पर्य० मोहनगढ	53466	—	—
29	दिलीप सिंह भाटी	—“—	52458	—	—
30	राम खिलाडी मीणा	—“—	43302	—	—
31	भवानी सिंह	चोकीदार	15483	—	—

वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक इकाई

1	श्री रामप्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	46117	—	—
2	श्री आसू सिंह	फैरोमेन	23781	—	—
3	श्री अर्जुन सिंह	तकनीकी वाहक	27221	—	—
4	श्री कन्हैया लाल	तकनीकी वाहक	26359	—	—
5	श्री श्रवण कुमार	तकनीकी वाहक	24298	—	—

उप नगर नियोजक इकाई

1	श्री लीलाधर जोशी	स.ले.अ. II	56251	—	—
2	श्री ओमप्रकाश चौधरी	क. प्रारूपकार	28751	—	—
3	श्री हरिराम कालवा	लिपिक ग्रेड-II	30953	—	—
4	श्री गजराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	24514	—	—
5	श्री सुशीला	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20233	—	—

मंडी विकास समिति, बीकानेर

1	श्री राजेन्द्र खत्री	क. लेखाकार	49784	—	—
2	श्री भंगाराम	पटवारी	52940	—	—
3	श्रीमती सुमन	पटवारी	35054	—	—
4	श्रीमती प्रीतिमा	पटवारी	35054	—	—
5	श्री गोविन्द व्यास	क०लि०	30006	—	—
6	श्री पूर्णाराम	च.श्रै.क.	26084	—	—
7	श्री प्रहलाद	च.श्रै.क.	25646	—	—

मैनुअल-11
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों एवं धन वितरण की सूचना वर्ष 2014-15)

अभियांत्रिकी इकाई
मुख्य अभियन्ता सिक्षेवि, इंगानप, बीकानेर

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	अभिकरण का नाम	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किष्कों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1.	मद 4705-101-(05)-(01)	भूमि विकास कार्य	अ.अ., ओएफडी खण्ड I सिक्षेवि, बीकानेर	-	-	10.25	6.00	-	3.96	अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित अधि. अभियंता
2.	मद 4705-101-(05)-(03)	भूमि विकास कार्य	अ.अ., ओएफडी खण्ड I सिक्षेवि, बीकानेर	-	-	7.00	1.00	-	0.49	अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित अधि. अभियंता
3.	मद 4705-107-(01)-(02)	निर्देशन प्रशासन	मुख्य अभियंता एवं वृत्त कार्यालय	-	-	983.76	970.10	-	961.75	अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित अधि. अभियंता
4.	मद 4705-107-(01)-(01)	भूमि विकास कार्य	खण्ड कार्यालय (गंगनहर)	-	-	4296.24	4213.64	-	4117.70	अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित अधि. अभियंता
5.	मद 4705-789-(03)-(01)	भूमि विकास कार्य	खण्ड कार्यालय (गंगनहर)	-	-	1760.00	1868.16	-	1863.35	अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित अधि. अभियंता
6.	मद 4705-105-(04)-(00) एसएनआईपी	भूमि विकास कार्य	खण्ड कार्यालय (गंगनहर)	-	-	715.00	176.38	-	171.66	अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित अधि. अभियंता
7.	मद 4705-103-(03)-(02) एसबीपी	भूमि विकास कार्य	खण्ड कार्यालय (गंगनहर)	-	-	660.00	82.50	-	44.10	अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित अधि. अभियंता
8.	मद 4705-00-789-04-01 एसबीपी	भूमि विकास कार्य	खण्ड कार्यालय (गंगनहर)	-	-	220.00	27.44	-	14.80	अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित अधि. अभियंता
9.	मद 4705-00-789-05-01 एसएनआईपी	भूमि विकास कार्य	खण्ड कार्यालय (गंगनहर)	-	-	220.00	37.50	-	36.60	अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित अधि. अभियंता

मुख्य लेखाधिकारी,
कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
(पश्चिम) सी.ए.डी, बीकानेर

मंडी विकास समिति, बीकानेर

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मण्डी का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य के समाप्त होने की संभावित तिथि	प्रस्तावित बजट लाखों में	स्वीकृत बजट लाखों में	कुल व्यय लाखों में 31.03.2013	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेवार अधिकारी
2012-13								
1.	दंतौर	सड़क निर्माण अनाज मण्डी विस्तार	22.11.12	30.06.13	—	—	08.49	अधिषाषी अभियन्ता ओ.एफ.डी. खण्ड प्रथम सि.क्षे.वि. इगानप बीकानेर। कार्य पूर्ण 471 मी.
2.	दंतौर	सड़क निर्माण दंतौर मण्डी पार्ट दिवतीय	01.02.13	30.06.13	—	—	08.30	कार्य पूर्ण हो चुका है। 398.10 मी.
3.	बज्जू	सड़क निर्माण कार्य पार्ट दिवतीय	26.11.12	30.06.13	—	—	04.90	कार्य पूर्ण हो चुका है। 405 मी.
4.	बज्जू	सड़क निर्माण अनाज मण्डी विस्तार	08.02.13	07.05.13	—	—	04.35	कार्य पूर्ण हो चुका है। 311 मी.
5.	बज्जू	सड़क निर्माण अनाज मण्डी विस्तार आर 1 आर 2 आर 5 आर 6 आर 7	26.11.12	30.06.13	—	—	08.86	कार्य पूर्ण हो चुका है। 0.889 कि.मी.
2013-14								
6.	रावला	जन.मार्केट सब्जी मण्डी, बस स्टेण्ड औधोगिक एरिया के पास	—	31.03.14	—	—	23.44320	अधिषाषी अभियन्ता ओ.एफ.डी. खण्ड प्रथम सि.क्षे.वि. इगानप बीकानेर।
7.	लूणकरणसर	आवासीय योजना सै05	—	31.03.14	—	—	870709	अधिषाषी अभियन्ता ओ.एफ.डी. खण्ड प्रथम सि.क्षे.वि. इगानप बीकानेर।
8.	बज्जू	धान मण्डी में सड़क निर्माण	—	31.03.14	—	—	533947 नई सड़क 15.01147 पुरानी सड़क	अधिषाषी अभियन्ता ओ.एफ.डी. खण्ड प्रथम सि.क्षे.वि. इगानप बीकानेर।
9.	पूगल	सड़क निर्माण	—	31.03.14	—	—	2612000	अधिषाषी अभियन्ता ओ.एफ.डी. खण्ड प्रथम सि.क्षे.वि. इगानप बीकानेर।
10.	दन्तौर	आ. सैक्टर पुलिस थाने के पीछे सड़क निर्माण	—	31.03.14	—	—	386000 old liability	अधिषाषी अभियन्ता ओ.एफ.डी. खण्ड प्रथम सि.क्षे.वि. इगानप बीकानेर।
11.	टोटल स्टेशन सर्वेक्षण मण्डी बेरियावाली व दंतौर	ले आउट चक हेतु सर्वेक्षण व डॉक्यूमेंटेशन कार्य	—	31.03.14	—	—	—	—

क्र. सं.	मण्डी का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य के समाप्त होने की संभावित तिथि	प्रस्तावित बजट लाखों में	स्वीकृत बजट लाखों में	कुल व्यय लाखों में 31.03.2015	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेवार अधिकारी
2014-15								
1.	पूगल	सडक निर्माण कार्य रिटेक कार्य सै0 में बीएसएनएल के पास	जनवरी 2015	मार्च-2015	1.00 करोड़	1.00 करोड़	10/2014 तक 2705-789-01-01 21 अनुरक्षक एवं मरम्मत में 487899/- 4705-101-04-17 वृहद्व निर्माण 230877/- व्यय	अधिषाषी अभियन्ता ओ.एफ.डी. खण्ड प्रथम सि.क्षे.वि. इगानप बीकानेर। कार्य प्रस्तावित किये गये है। टेण्डर प्रक्रिया जारी है। टेण्डर होने के पश्चात कार्य प्रारंभ हो सकेगें एवं 31.03.15 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।
2.	पूगल	धान मंडी सैक्टर						
3.	दंतौर	आवासीय सै04 जामसर बल्लर रोड के मध्य						
4.	बेरियांवाली	बिल्डिंग मैटेरियल स्टॉक यार्ड टिम्बर वुड- ट्रांसपोर्ट कम्पनी सैक्टर में सडक निर्माण						
5.	पूगल लूणकरणसर, दंतौर	अतिक्रमणो का सर्वेक्षण व नक्शा तैयार करना			0.90 लाख			

उप निदेशक कृषि विस्तार इकाई

क स	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1	डिग्गी फव्वारा अनुदान	डिग्गी निर्माण	1.4.2010	31.3.2011	12.85 लाख	0.00	एक मुश्त	—	उप निदेशक कृषि विस्तार
2	कृषक प्रशिक्षण	कृषक प्रशिक्षण	1.4.2010	31.3.2011	2.03 लाख	1.38 लाख	एक मुश्त	1.65 लाख	जिला विस्तार अधिकारी बज्जू मोहनगढ, कृषि अधि० बीकमपुर व उप निदेशक कृषि विस्तार
3	फसल प्रदर्शन	फसल प्रदर्शन	1.4.2010	31.3.2011	1.00 लाख	0.50 लाख	एक मुश्त	0.63 लाख	—
4	आईसो पॉम	प्रदर्शन, पौस० रसायन अनु०, दो दिवसीय प्रशि०, कल्चर वितरण, आईपी एम प्रदर्शन, कृषि यन्त्र व पौस० वितरण, सूक्ष्म तत्व प्रदर्शन, जिप्सम वितरण	1.4.2010	31.3.2011	50.00 लाख	55.37 लाख	एक मुश्त	54.67 लाख	—
5	आईसी डीपी कपास	आईपी एम प्रशिक्षण	1.4.2010	31.3.2011	—	—	—	—	—
6	वर्क प्लान	प्रदर्शन, दो दिवसीय प्रशि०, कृषि यन्त्र व पौस० वितरण, सूक्ष्म तत्व प्रदर्शन, आईपी एम लैब, किसान मेला, डिग्गी फव्वारा	1.4.2010	31.3.2011	5.00 लाख	6.67 लाख	एक मुश्त	6.67 लाख	—
7	राज्य योजना	पौ०स० उपकरण, कम्प्यूटर रख रखाव, वर्मी कल्चर प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण	1.4.2010	31.3.2011	0.31 लाख	0.39 लाख	एक मुश्त	0.39 लाख	—
8	एनए डीपी	सीडबिन वितरण, गुण नियंत्रण, जिप्सम विभिन्न राशि	1.4.2010	31.3.2011	2.00 लाख	28.53 लाख	एक मुश्त	28.41 लाख	—

परियोजना निदेशक कृषि अनुसंधान एवं भू सर्वेक्षण इकाई

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने की दिनांक	कार्य समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट (लाख रु.)	स्वीकृत बजट (लाख रु.)	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में) (लाख रु.)	कुल व्यय (लाख रु.)	कार्य की गुणवत्ता को सम्पन्न करने के लिए जिम्मेवार अधिकारी
1	कृषि एवं भू-सर्वेक्षण	1.इगानप क्षेत्र में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्रों एवं कृषकों के खेतों पर ग्राह्य परीक्षण आयोजन 2-इगानप क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण 3-मृदा एवं जल के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण	परियोजना निदेशक, कृषि एवं भू- सर्वेक्षण

वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक इकाई

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने को दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित (वास्तविक) दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय	कार्य को गुणवत्ता एवं समापन करवानेके लिये जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	पीजोमीटर निर्माण कार्य	—	—	—	4.00 लाख	एक किशत	—	वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक
2.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	पीजोमीटर मरम्मत कार्य	—	—	—	2.00 लाख	एक किशत	—	वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक

उप नगर नियोजक इकाई

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने को दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित (वास्तविक) दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय	कार्य को गुणवत्ता एवं समापन करवानेके लिये जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आबादी प्लानिंग	इगानप क्षेत्र	01.04.14	31.03.15	34.89	41.51	एकमुश्त	21.08	उप नगर नियोजक सि.क्षे.वि. बीकानेर

मैनुअल-12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

कार्यक्रम/योजना का नाम	डिग्गी फव्वारा अनुदान	फसल प्रदर्शन आयोजन
कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	वर्ष 2013-14	वर्ष 2013-14
कार्यक्रम का उद्देश्य	जल का समुचित उपयोग	उन्नत कृषि विधियों का प्रचार प्रसार
कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	12.85 लाख	-
लाभार्थी की पात्रता	सिंचित भूमि धारी कृषक	सिंचित भूमि धारी कृषक जो उन्नत विधियों अपनाने के इच्छुक हों
पूर्वापेक्षाएँ	कृषक इच्छुक व सिंचित भूमि धारित हो	प्रगतिशील कृषक
अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	इच्छुक कृषक संबंधित जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं	फिल्ड स्टाफ द्वारा इच्छुक कृषक का चयन किया जाता है
पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड	-"-	-"-
दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरणहो)	39850 से 78500 रुपये तक जोत आकार व फव्वारा मॉडल के अनुसार/ अनुदान राशि कृषि विभाग के समकक्ष करने हेतु पत्राचार जारी है।	एक बीघा भूमि में ली जाने वाली फसल में उपयोग कृषि आदान निःशुल्क के अनुसार
अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	डिग्गी निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने पर भुगतान किया जाता है	विभागीय सिफारिशानुसार फसल उत्पादन करने पर आदान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है
आवेदन करने के लिए कहां किससे संपर्क करें	संबंधित जिला विस्तार अधिकारी बज्जू,बीकमपुर,मोहनगढ	-
आवेदन शुल्क(जहाँ उचित हो)	5 रु0 पंजीयन शुल्क	-
अन्य शुल्क(जहाँ उचित हो)	-	-
आवेदन पत्र का प्रारूप	निर्धारित प्रपत्रानुसार	-
संलग्नकों की सूची	पासबुक/गिरदावरी, भूमि व सिंचाई पेटे बकाया नहीं का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र, डिग्गी एस्टीमेट/फव्वारा व ईजन कॉन्ट्रैशन/कृषक फोटो	-
संलग्नकों का प्रारूप	राजस्व/उपनिवेशन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रानुसार	-
प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां संपर्क करें	जिला विस्तार अधिकारी/ उप निदेशक कृषि विस्तार, आयुक्त क्षेत्रीय विकास बीका0/जेसल0	-
उपलब्ध धनराशि का विवरण	-	-
लाभार्थियों की सूची	परिशिष्ट-ए	परिशिष्ट-बी

डिग्गी/फव्वारा संबंधी लाभार्थियों की सूची(निम्न प्रारूप पर):-

परिशिष्ट-ए

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमोंक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि लाख रू0	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास		
					जिला	जिविअ क्षेत्र	चक
1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार सीएडी इंगानप0 द्वितीय चरण क्षेत्र में निर्मित डिग्गीयों संख्या 1203 का भौतिक सत्यापन कर पत्रावलियों वित्तीय स्वीकृति हेतु इस कार्यालय द्वारा उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद बीकानेर/जैसलमेर को प्रेषित की गई।							

जनरल प्रदर्शन (खरीफ-2013) अनुदान:-एक बीघा प्रदर्शन का समस्त आदान,

जिला:-उप निदेशक कृषि विस्तार सिंक्षेवि0 इंगानप0 बीकानेर

परिशिष्ट-बी

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमोंक	लाभार्थी का नाम	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास	
				चक	मोहल्ला/मकान
1	रेणूबाला	दलवीर सिंह	क्षेत्र में कृषि भूमि (उन्नत किसान)	8 BSM	किसान ढाणी में रहता है
2	रामकुमार	नेनूराम	—	28 CWB	—
3	कमलादेवी	डूंगरराम	—	9 GWM	—
4	विमला	कृष्णलाल	—	2 DWM	—
5	नानूराम	हेमाराम	—	9 GWM	—
6	मघाराम	बीरमाराम	—	2 DWM	—
7	हडमान	सोनाराम	—	2 DWM	—
8	गोगादेवी	नानूराम	—	9 GWM	—
9	सोनादेवी	सुखाराम	—	2 DWM	—
10	भेराराम	आसूराम	—	8 KHD	—
11	मोहनीदेवी	भवानीशंकर	—	14 KHD	—
12	सुखचेनसिंह	सुरेन्द्रसिंह	—	1 RWM	—
13	मोतीराम	लूणाराम	—	1 PSM	—
14	लालूराम	भागीरथराम	—	8-9 BJM	—
15	नानूराम	मामराज	—	1 GSMR	—
16	पदमकँवर	देवेन्द्रसिंह	—	8 BD	—
17	हडमानसिंह	नखसिंह	—	2 BGM	—
18	गोविन्दराम	मोटाराम	—	7 RDY	—
19	देराम	मामराज	—	1 GSMR	—
20	सुशीलादेवी	जगदीशचन्द्र	—	8 MM	—
21	बहादूरराम	सुखराम	—	2 AM	—
22	ओमप्रकाश	गोविन्दराम	—	1 CDY	—
23	अमोलखराम	मल्लूराम	—	2 DM	—
24	पप्पूराम	भेराराम	—	38 DODD	—
25	घेवरराम	नानूराम	—	4 CDY	—
26	भँवर	नानूराम	—	3 GSMR	—
27	भैरूसिंह	लूणसिंह	—	4 DMA	—
28	हरिसिंह	मघाराम	—	18 BLM	—
29	परमाराम	रामफूल	—	9 JJM	—
30	लेखराम	श्रीराम	—	3 BLM	—
31	छोटादेवी	रामकरण	—	17 BLM	—

32	समरदीन	मन्दूखॉ	--	8 BLM	--
33	द्वारकाराम	जगमालराम	--	2 KNM	--
34	धन्नीदेवी	शिवदानराम	--	5 MGR	--
35	ग्वालदास	जग्गन्नाथ	--	4 MGR	--
36	दीनेखॉ	खेरदीन	--	5 BLM	--
37	अलीखॉ	खानूखॉ	--	3 MGR	--
38	विजय	मनीराम	--	2 BLM	--
39	लालचन्द	श्रीराम	--	2 BLM	--
40	दीपाराम	खेराजराम	--	37 BD	--

जनरल प्रदर्शन (रबी-2013-14) अनुदान:-एक बीघा प्रदर्शन का समस्त आदान,

जिला:-उप निदेशक कृषि विस्तार सिंक्षेवि0 इंगांनप0 बीकानेर

परिशिष्ट-बी

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमोंक	लाभार्थी का नाम	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास	
				चक	मोहल्ला / मकान
1	राजूराम	दमाराम	क्षेत्र में कृषि भूमि(उन्नत किसान)	2 CWM	किसान ढाणी में रहता है
2	हजारीसिंह	भेंवरसिंह	--	11 KHD	--
3	रामदास	वेदराम	--	9 BKM	--
4	भोजाराम	राणाराम	--	9 BKM	--
5	सुमन	बिहारीलाल	--	6 BSM	--
6	बाबूदेवी	दयाराम	--	4 BKM	--
7	भगताराम	रामकरण	--	2 CWM	--
8	परमाराम	तुलसाराम	--	2 CWM	--
9	सोनादेवी	ओमप्रकाश	--	14 KHD	--
10	गोपालराम	बेगाराम	--	14 KHD	--
11	कमला	मोतीराम	--	1 CWM	--
12	चूकादेवी	बनवारीलाल	--	9 BKM	--
13	विजयाकुमारी	प्रेमराज	--	9 BKM	--
14	नारायणसिंह	हिम्मतसिंह	--	10 NUD	--
15	देवकी	मघाराम	--	30 CWB	--
16	लिक्षमा	खेताराम	--	14 CWB	--
17	लखविन्द्रसिंह	रणजोधसिंह	--	17-18 JWD	--
18	परमजीतकौर	सतविन्द्रसिंह	--	17-18 JWD	--
19	गोपालसिंह	रखेसिंह	--	2 PSM	--
20	पुष्पकँवर	करणीसिंह	--	2 PSM	--
21	राजूसिंह	जोरसिंह	--	1 PSM	--
22	हीरा	कृष्णलाल	--	5 RM	--
23	मोबताराम	सोमजी	--	1 DODD	--
24	लूणाराम	हरजीराम	--	1 DODD	--
25	जतनदेवी	मानाराम	--	1 DODD	--
26	भेंवरकँवर	इन्द्रसिंह	--	1 BM	--
27	नरपतसिंह	डुंगरसिंह	--	4 PBM	--
28	मोखराम	लेखराम	--	1 BNM	--
29	आसाकँवर	दीपसिंह	--	6 PWM	--
30	किरणकँवर	बाघसिंह	--	1 BM	--
31	कलावती	बद्रीप्रसाद	--	4 RM	--

32	धापू	गिरधारी	--	2 CWB	--
33	हडमान	नानूराम	--	1 GSMR	--
34	भेंवरलाल	गणेशाराम	--	5 RM	--
35	अणदूकंवर	राजूसिंह	--	1 GM	--
36	राजरानी	जोगेन्द्रसिंह	--	1 BGM	--
37	लक्ष्मीदेवी	किसनसिंह	--	4 BD	--
38	ईमीलाल	गुमानाराम	--	445 RD	--
39	किसनलाल	पेमाराम	--	6 DJM	--
40	देराम	लुम्बाराम	--	1 GSMR	--
41	देवाराम	सुराराम	--	7 PSD	--
42	सुखचैन	सुरेन्द्रसिंह	--	1 PWM	--
43	भैराराम	सोनाराम	--	26 BTM	--
44	मीरा	अजयसिंह	--	26 BTM	--
45	कमला	राकेश	--	27 BTM	--
46	गजेन्द्रसिंह	अखेसिंह	--	26 BTM	--
47	रामसिंह	नीम्बाराम	--	4 SKLM	--
48	चनणराम	बच्चाराम	--	4 SKLM	--
49	ताराराम	हीराराम	--	6 SKLM	--
50	हीराराम	तगाराम	--	6 SKLM	--
51	इमरती	शंकराराम	--	9 CDY	--
52	चुतराराम	तगाराम	--	52 SBS	--
53	केसराराम	रामूराम	--	52 SBS	--
54	फूली	नख्ताराम	--	52 SBS	--
55	कस्तूराराम	नीम्बाराम	--	52 SBS	--
56	बाबूराम	किसनाराम	--	27 BTM	--
57	गजाराम	रूपाराम	--	27 BTM	--
58	चतरसिंह	अजयसिंह	--	27 BTM	--
59	ईशराराम	धन्नाराम	--	26 BTM	--
60	खेताराम	सोनाराम	--	26 BTM	--

मैनुअल-13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराए ।
शून्य ।

मैनुअल-14

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक नियम

लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण।

इस संगठन का वर्तमान में मुख्य कार्य खाला निर्माण है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों के निरीक्षण बाबत अधीनस्थ अधिकारियों के लिए मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित मानदण्डों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	अधिकारी के पद का विवरण	निरीक्षण के लिए प्रस्तावित न्यूनतम कार्यों की संख्या
अ) माह अक्टूबर से मई तक		
1.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जोन के प्रत्येक खण्ड में निर्मित हो रहे किसी एक पक्के खाले एवं ईंटों की सीधी आपूर्ति के कार्य का निरीक्षण
2.	अधीक्षण अभियन्ता	वृत्त के प्रत्येक उपखण्ड में चल रहे किसी एक खाले व ईंटों की सीधी आपूर्ति के कार्य का निरीक्षण
3.	अधिशायी अभियन्ता	खण्ड के अंतर्गत चल रहे प्रत्येक खाले एवं ईंटों की सीधी आपूर्ति के कार्यों का एक बार निरीक्षण
4.	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड के अंतर्गत निर्मित हो रहे प्रत्येक खाले एवं ईंटों की सीधी आपूर्ति के कार्य का माह में तीन बार निरीक्षण
ब) माह जून से सितम्बर तक		
		जून से सितम्बर तक निरीक्षण किये जाने वाले कार्यों की संख्या उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए मानदण्ड की 50 प्रतिशत होगी अर्थात् ऊपर अंकित कार्यों का निरीक्षण एक माह के स्थान पर दो माह में करना होगा।

निर्माण इकाई द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों की फिल्ड टेस्टिंग एवं गुण नियंत्रण इकाई द्वारा भी जांच की जाती है। इस इकाई के अधिशायी अभियन्ता द्वारा उसके अधीनस्थ उप खण्डों में चल रहे समस्त निर्माण कार्यों का माह में एक बार तथा सहायक अभियन्ता द्वारा उसके क्षेत्र में चल रहे खाला निर्माण कार्यों का माह में कम से कम तीन बार निरीक्षण करना आवश्यक है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारित मानक

अ	विस्तृत भू सर्वेक्षण	8469 हैक्टेयर
ब	क्षारीय/लवणीय सर्वेक्षण	6797 हैक्टेयर
स	मृदा एवं पानी के नमूनों का विश्लेषण	51411 नमूने
द	चल मिट्टी एवं पानी परीक्षण प्रयोग शाला	- नमूने
य	ग्राह्य परीक्षण (एटीसी व कृषक खेत)	- परीक्षण

मैनुअल-15

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

विभाग द्वारा संपादित विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हैं –

1. मासिक प्रगति प्रतिवेदन
2. विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण
3. वार्षिक प्रतिवेदन
4. पंचवर्षीय/वार्षिक योजना
5. स्वीकृत पदों, रिक्तियों एवं वेतन विवरण संबंधी मासिक बैलेंस सीट
6. न्यायिक प्रकरणों की सूची
7. पेंशन प्रकरण

मैनुअल-16

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए विभाग (संगठन) द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण :

अभियांत्रिकी संबंधी

- प्रदर्शनी
- सूचना पटल
- अभिलेखों का निरीक्षण
- दस्तावेजों को प्रति प्राप्त करने को व्यवस्था

कृषि संबंधी

- अखबारों द्वारा:—कृषि विभागीय तकनीकी व अनुदान से संबंधित जानकारियों समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करवाई जाती है ।
- प्रदर्शनी:— कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र तथा पंचायत समिति स्तर पर कृषक मेलों एवं प्रदर्शनीयों का आयोजन किया जाता है ।
- सूचना पटल:— विभाग की प्रमुख गतिविधियों का विवरण सूचना पटल पर चस्पा किया जाता है ।
- अभिलेखों का निरीक्षण:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार ।
- उपलब्ध विभागीय मैनुअल:—विभागीय दिशा-निर्देश प्रति कार्यालय में उपलब्ध है ।
- लोक प्राधिकरण की बेवसाईट:—कृषि एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा बेवसाईट की व्यवस्था उपलब्ध है ।
- अन्य प्रचार प्रसार के साधन:—क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा कृषकों से व्यक्तिगत संपर्क,कृषक प्रशिक्षण, पददर्शनी मेले,पंपलैट्स,विडियो वाहन द्वारा फिल्म प्रदर्शन आदि ।

मैनुअल-17

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

अभियांत्रिकी संबंधी

सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिक के प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही कर के उसे अवगत करवा दिया जाता है। यदि वह अभिलेख की प्रति प्राप्त करना चाहे तो आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विदित शुल्क जमा करवा कर प्रति प्राप्त की जा सकती है।

कृषि संबंधी

कृषि संबंधी तकनीकी जानकारियाँ जैसे उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक प्रयोग विधि, मात्रा, उपयोग का समय आदि व पौध संरक्षण रसायन के उपयोग की मात्रा व समय तथा रोग व कीट का प्रकोप की जानकारी इत्यादि। इसके अलावा विभागीय अनुदान से संबंधित जानकारियाँ।

जल प्लावन एवं भू-सुधार संबंधी

जल प्लावन एवं भू-सुधार संबंधी जानकारियाँ जैसे:- भू-जल के नमूनों का रासायनिक परीक्षण कर की जाती है, ताकि भू-जल की गुणवत्ता का पता लग सके। काश्तकारों द्वारा निर्मित कुओं में संपादन जैसे डिस्चार्ज डाउन का आकलन किया जाता है। ताकि कुएँ की क्षमता (यील्ड) निर्धारण की जानकारी दी जाती है। मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण की जानकारी डग-कम-बोर वेल्स के निर्माण हेतु काश्तकारों को उचित स्थलों की चयन की जानकारी दी जाती है।

सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में

- आवेदन पत्र – सादे कागज पर प्रार्थना पत्र
- शुल्क – राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 द्वारा निर्धारित
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह मॉगी जाये – सादे कागज पर वांछित सूचना का विवरण लिखकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया – धारा 19 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, जयपुर के यहां अपील दायर की जा सकती है।

लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण—इस प्रशिक्षण में कृषकों को उनके क्षेत्र में बोई जाने वाली समस्त फसलों की कृषि तकनीकी जानकारीयों कृषि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है ।

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण :** एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण—इस प्रशिक्षण में कृषकों को उनके क्षेत्र में बोई जाने वाली समस्त फसलों की कृषि तकनीकी जानकारीयों कृषि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है ।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा:—समय सीमा** वित्तीय वर्ष
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य:—** कृषकों को उनके आवास स्थान के निकटस्थ स्थान पर कृषि तकनीकी जानकारी देना
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्षों में):—** भौतिक—6500 कृषक वित्तीय:— 2.03 लाख रुपये।
- **लाभार्थी की पात्रता:—** भूमि धारक,भूमिहीन व कृषक मजदूर होना चाहिए
- **पूर्वापेक्षाएँ (यदि हो तो):—** इच्छुक व प्रगतिशील कृषक
- **अनुदान/सहायता (यदि हो तो):—** 30 रु0 प्रति कृषक प्रति प्रशिक्षण,प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि।
- **दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो):—** 30 रु0 प्रति कृषक प्रतिदिन
- **अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया:—** प्रशिक्षण दिवस पर प्रशिक्षण उपरान्त उसी समय कृषक को 30 रु0 प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।
- **आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे संपर्क करें:—** आवेदन की आवश्यकता नहीं
- **आवेदन शुल्क(जहाँ उचित हो):—** आवेदन शुल्क नहीं है।
- **अन्य शुल्क(जहाँ उचित हो):—** अन्य शुल्क नहीं है
- **आवेदन पत्र का प्रारूप:—** आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित नहीं है
- **संलग्नकों की सूची:—** आवश्यक नहीं है
- **संलग्नकों का प्रारूप:—** संलग्नकों का प्रारूप कुछ नहीं है
- **आवेदन करने की प्रक्रिया:—** आवेदन करने की कोई प्रक्रिया नहीं है
- **चयन प्रक्रिया:—** एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण कृषि विस्तार व कृषि अनुसंधान अधिकारियों की मासिक कार्यशाला में निर्धारित किया जाता है । इस निर्धारित कार्यक्रमानुसार संबंधित जिला विस्तार अधिकारी द्वारा अधिनस्थ स्टाफ के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अधिनस्थ स्टाफ द्वारा कृषक प्रशिक्षण आयोजन के क्षेत्र में प्रशिक्षण का कृषकों में व्यक्तिगत संपर्क कर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । इस प्रकार प्रोत्साहित प्रगतिशील व इच्छुक कृषकों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है ।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो):—** सर्दियों में:—10 एएम से 5 पीएम
गर्मियों में:—7 एएम से 2 पीएम
- **प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका:—** कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रशिक्षण स्थान,समय व प्रशिक्षण विषय के बारे में जानकारी दी जाती है

- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य:**— कृषि पर्यवेक्षकों व सहायक कृषि अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कृषकों से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें जानकारी दी जाती है । कृषक इन प्रशिक्षणों में भाग लेकर कृषि संबंधी जानकारी लेवें ताकि उनके फसल उत्पादकता व उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकेगी ।
- विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण
- **प्रशिक्षण कार्यक्रमध्वोजना के प्रभावी रहने को समय सीमा:**— समय सीमा वित्तीय वर्ष

लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में जो कि मैनुअल 13 में ना सम्मिलित हो : कोई नहीं

लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के सम्बन्ध में:— कोई नहीं

लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade Tax, Entertainment Tax, आदि) द्वारा टैक्स लेने के संबंध में:— इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन की अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद/UPCL द्वारा दी जा सकती है):— इस कार्यालय से संबंधित नहीं है

लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण:— इस कार्यालय से संबंधित नहीं है

अभियांत्रिकी इकाई – पक्के खालों के निर्माण संबंधी

पंजीयन का उद्देश्य	विभागीय हितों की रक्षा के लिये अनुभवी फर्मों से कार्य करवाना ताकि लोकधन का सदुपयोग हो।
आवेदन की पात्रता	सार्वजनिक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियमों के परिशिष्ट—XVI में वर्णित योग्यता
पूर्वापेक्षाएँ {यदि हो तो}	उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार
आवेदन करने के लिये कहां/ किससे सम्पर्क करें	प्रवर्ग “एए” “ए” मुख्य अभियंता कार्यालय प्रवर्ग “बी” मुख्य अभि.एव अति. मुख्य अभि. प्रवर्ग “सी” अधीनस्थ वृत्त कार्यालय प्रवर्ग “डी” अधीनस्थ खण्ड कार्यालय
आवेदन शुल्क {जहां उचित हो}	प्रवर्ग अनुसार सार्वजनिक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियमों के परिशिष्ट XVI में निर्धारित शुल्क अनुसार
अन्य शुल्क {जहां उचित हो}	—रू—
आवेदन पत्र का प्रारूप। यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें	—रू—
संलग्नकों की सूची	—रू—
संलग्नकों की प्रारूप	—रू—
आवेदन करने की प्रक्रिया	—रू—

आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दे जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)	आवेदन करने के बाद संबंधित कार्यालय आवेदन पत्र को पत्रावली की नोटपीट पर पी.डब्ल्यू.एफ.एण्ड.ए.आर. के परिशिष्ट 'ट' में वर्णित शर्तों की पूर्ति की जाती है। कागजात/फीस इत्यादि पूर्ण होने पर पंजीयन के आदेश जारी किये जाते हैं।
प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)	सार्वजनिक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम के परिशिष्ट XVI में वर्णित अनुसार
नवीनीकरण की प्रक्रिया क्यदि हो तो	...उपरोक्तानुसार...

लोक प्राधिकरण द्वारा टैक्स लेने के सम्बन्ध में

- टैक्स का नाम व विवरण –प्रायोज्य नहीं
- टैक्स लेने का उद्देश्य –प्रायोज्य नहीं
- टैक्स निर्धारण करने के लिये मापदंड व प्रक्रिया –प्रायोज्य नहीं
- बडे डिफाल्टर्स की सूची –प्रायोज्य नहीं

लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन कनेक्शन की अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के सम्बन्ध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगरपरिषद/UPCL द्वारा दी जा सकती है।)

- आवेदक को पात्रता –प्रायोज्य नहीं
- पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो) –प्रायोज्य नहीं
- आवेदन करने के लिये कहां /किससे सम्पर्क करें –प्रायोज्य नहीं
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) –प्रायोज्य नहीं
- अन्य शुल्क /देय (जहां उचित हो) –प्रायोज्य नहीं
- आवेदन पत्र का प्रारूप –प्रायोज्य नहीं
(यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)
- संलग्नकों की सूची –प्रायोज्य नहीं
- संलग्नकों का प्रारूप –प्रायोज्य नहीं
- आवेदन करने की प्रक्रिया –प्रायोज्य नहीं
- आवेदन करने के बाद लोकप्राधिकरण में होने प्रक्रिया–प्रायोज्य नहीं
(यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)
- बिल में प्रयोग किये गये शब्दों का विवरण –प्रायोज्य नहीं
- बिल तथा अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में समस्या होने को स्थिति में सम्पर्क सूचना –प्रायोज्य नहीं
- टेरिफ तथा अन्य देय –प्रायोज्य नहीं

लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण।

– नहीं –